

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में पन्द्रहवीं रिपोर्ट वर्ष 2012

FIFTEENTH REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES ON THE IMPLEMENTATION OF THE

PUBLIC RECORDS ACT, 1993 FOR THE YEAR

2012

भारत सरकार राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2015

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में पन्द्रहवीं रिपोर्ट वर्ष 2012

FIFTEENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2012

भारत सरकार राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA NATIONAL ARCHIVES OF INDIA NEW DELHI 2015

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राथमिकताएं	3-5
2.	सिंहावलोकन	6-7
3.	आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य निष्कर्ष	8
4.	अभिलेख कक्षों की स्थापना	9-10
5.	अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	11-13
6.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी	14-15
7.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	16-17
8.	अभिलेखों का सूचीकरण	18-19
9.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन	20-21
10.	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	22-23
11.	निष्क्रिय आयोग / समितियाँ	24-25
12.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	26-27
13.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास	28-29
14.	''क' श्रेणी अमिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	30
15.	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	31-32
16.	संदर्भ माध्यम तैयार करना	33-34
17.	अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण	35-36
18.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा	37-38
19.	परामर्शी कार्य	39-41
20.	प्रशिक्षण	42-44
21.	अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम	45-46

CONTENTS

S.No.	CHAPTERS	Page No.
1.	PRIORITIES	3-5
2.	AN OVERVIEW	6-7
3.	ANALYSIS OF THE DATA : GENERAL OBSERVATIONS	8
4.	RECORDS ROOMS – SETTING UP OF	9-10
5.	RECORDS OFFICERS – NOMINATION OF	11-13
6.	SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS	14-15
7.	RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI- CURRENT RECORDS	16-17
8.	INDEXING OF RECORDS	18-19
9.	COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES	20-21
10.	DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS	22-23
11.	DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES	24-25
12.	ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	26-27
13.	ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES	28-29
14.	MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS	30
	TIES OF NATIONAL ARCHIVES OF INDIA	
15.	APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	31-32
16.	PREPARATION OF REFERENCE MEDIA	33-34
17.	ACQUISITIONS /ACCESSIONS	35-36
18.	VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES	37-38
19.	ADVISORY WORK	39-41
20.	TRAINING	42-44
21.	ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME	45-46

श्रानुलग्नक

47-48	 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों की सूची जिन्होंने महानिदेशक की 15वीं रिपोर्ट के लिए सूचना भेजी है: ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिन्होंने 15वीं 	अनुलग्नक— I
	महानिदेशक रिपोर्ट के लिए सूचना भेजी है:	
49	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियम)	अनुलग्नक— II
50-51	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 4, लोक अभिलेख नियम)	अनुलग्नक- 111
52-62	वर्ष 2012 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम	अनुलग्नक- IV

ANNEXURES

Annexure-I	A. List of Ministries/ Departments/ Offices that have provided information for the XV DG Report:	47-48
	B. List of Public Sector Undertakings that have provided information for the XV DG Report:	1 - Selfes
Annexure-II	List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records (Form 7, Public Records Rules)	49
Annexure-III	List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Downgrading of Classified files (Form 4, Public Records Rules)	50-51
Annexure-IV	Name of Records officers who have attended five-day Orientation Courses on records management in 2012	52-62

प्राथमिकताएं

वर्ष 2012, लोक अभिलेख नियमावली 1997 की अधिसूचना के 16वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के 18 महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलें कुछ राज्यों द्वारा लागू किए गए इसी प्रकार के विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन कानूनी प्रावधानों और सार्वजिनक अभिलेखों के उचित रखरखाव के महत्व के प्रति बढ़ती जागरुकता के बावजूद अभिलेख प्रबंधन पद्धितयों तथा अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद की अविध में सरकारी संगठनों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन ने किस तरह एक महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त कर लिया है। यह एक ऐसा तथ्य है जो शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोक अभिलेखों के महत्व के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर. सी.) की टिप्पणियों के साथ मेल खाता है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया जाए।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरा सहयोग और समर्थन दिया था। उनके द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रपत्र 5, लोक अभिलेख नियमावली, 1997 में प्रस्तुत रिपोर्टों से अभिलेख सर्जक एजेंसियों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यह पाया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां अपने संगठन के अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों पर रिपोर्ट नहीं करती हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन करने, धारा 5(1) और अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यात्मक अभिलेख कक्ष की स्थापना करने तथा धारा 5(2) को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। रिपोर्टों का एक संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.1 पिछले वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान अपने संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारें में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया में मामूली सुधार हुआ है। प्रतिशत के अनुसार वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया केवल 1.78 प्रतिशत रही है जो 2011 के 2.87 प्रतिशत की तुलना में कम है। यह भी देखा गया है कि केवल कुछ मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने ही अनिवार्य प्रपत्र में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है लेकिन अनेक अधीनस्थ विभागों, इन मुख्य मंत्रालयों के अधीन उपक्रमों ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत की है। अभिलेख अधिकारियों के नामांकन जैसे मामलों पर विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना जैसे कुछ अन्य अनिवार्य प्रावधानों जैसे विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना और अभिलेखन, सूचकांक तैयार करना, आदि की तुलना में प्रतिक्रिया बेहतर रही है।

CHAPTER-1

PRIORITIES

The year 2012 marked the sixteenth year of the notification of The Public Records Rules, 1997. It also marks 18 eventful years of the implementation of The Public Records Act, 1993 by various Records Creating Agencies of the Government of India and Union Territory Administrations. Major initiatives set forth in the Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by some of the States. However, in spite of these legislative provisions and increasing awareness about the importance of proper upkeep of public records, no remarkable transformation can be observed in the records management practices followed by the records creating agencies.

In the post-Right to Information Act era, the management of public records in the Government organizations has assumed a critical dimension, a fact which also resonates with the observations of the second Administrative Reforms Commission (ARC) regarding the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. Therefore, it is extremely imperative to implement serious measures to streamline the records management practices in the Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizen under the Right to Information Act.

The National Archives of India had extended full cooperation and support to the Records Creating Agencies towards the implementation of the Public Records Act, 1993. The response of the Records Creating Agencies can be gauged from the reports submitted by them to the National Archives of India in Form 5, Public Records Rules, 1997. It has been observed that not all the Records Creating Agencies report on the Records Management activities of their organization. From the reports that have been received, it appears that some of the mandatory requirements such as the nomination of Record Officer under Section 5(1) and setting up of a functional Record Room under Section 5(2) of the Act have not been complied with by majority of records creating agencies. A brief analysis of the reports is as follows:

1.1 The overall response received from various Records Creating Agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their organisations during 2012 reflects a slight improvement as compared to 2011. Percentage wise, the total response is only 1.78 per cent for the present report which is lesser than 2.87 per cent of 2011. It has also been observed that only few of the Ministries/ Departments/ Offices have furnished the requisite information in the mandatory format but many of the subordinate Departments, Undertakings under many of these main Ministries have furnished information on the implementation of the Public Records Act, 1993. On some issues like nomination of Record Officers, the response has been better compared to some other mandatory provisions like setting up of Departmental Record Room and Recording, preparation of Indices, etc.

- 1.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नामांकित अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद अहम पहलू है जो अभिलेख सर्जक एजेंसियों में एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करता है। अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार और अपने विभाग के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर, जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्रों में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 111 अधिकारियों ने भाग लिया था।
- 1.3 भारत सरकार द्वारा सभी लोक अभिलेखों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें अंतिम भंडार गृह के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को महत्वपूर्ण मूल्य के अभिलेखों का अंतरण करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 द्व रा परिकित्पत अनुसार अभिलेख प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं। इस विभाग द्वारा निरंतर पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2012 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार में केवल 1,92,831 फाइलें स्थायी परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई थीं। यहां यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कराए जाने की आवश्यकता है। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन से यह सुनिश्चित होगा कि ये बहुमूल्य अभिलेख वैज्ञानिक रूप से संरक्षित किए जा सकेंगे और अनुसंधानकर्ताओं तक इनकी पहुंच लम्बे समय तक बनी रहेगी।
- 1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य—योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ मंत्रालयों / विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अविध के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों / विभागों से लगभग 1,92,831 मूल्यांकित फाइलों को स्थायी तौर पर रखने के लिए चुना गया है, जिनमें से अधिकांश फाइलें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई हैं। इस कार्य को अभिलेखीय सहायकों द्वारा इस विभाग के अभिलेखविदों और विरष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम और नियमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की समीक्षा का कार्य चल रहा है, जो अग्रिम चरण में है।

- 1.5 पूर्व वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं:
 - अधिनियम की धारा 5(1) और लोक अभिलेख नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत अभिलेख सर्जक

- Training of the record officers nominated under The Public Records Act, 1993 is a vital component for establishing a sound records management system in the records creating agencies. The record officers serve as a link between the National Archives of India and their own departments. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in records management for the benefit of the record officers. The Orientation courses organized during the year at the National Archives of India Headquarters, New Delhi, National Archives of India Regional Office, Bhopal and National Archives of India Records Centres located in Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry were attended by 111 officers sponsored by various Records Creating Agencies.
- 1.3 Transfer of records of enduring value to the National Archives of India as the final repository of all public records of the Government of India after their appraisal is another critical area of records management as envisaged by The Public Records Act, 1993. However, over the years, a large number of such records have accumulated in various records creating agencies. Notwithstanding the continuous initiatives taken by this Department, these records still await their transfer to the National Archives of India. The total number of files transferred to the National Archives of India for permanent preservation during 2012 was 1, 92,831. It cannot be overemphasized here that it is absolutely imperative that all non-current records of more than 25 years old be deposited with the National Archives of India as delineated in Section 6 of Public Records Act, 1993 and Rule 5 of Public Records Rules, 1997. Compliance of this mandatory provision will ensure that these invaluable records are preserved scientifically with a view to prolong their longevity and facilitate their access to researchers.
 - This Department has continued the approved Action Plan of the Cabinet Secretary on critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc. Approximately 1, 92,831 appraised files selected for permanent retention have been transferred from various Ministries/Departments, bulk of which has come from the Ministry of Home Affairs. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

Besides, the process of reviewing the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 with a view to carry out necessary amendments to make the said Act and Rules more effective, is in an advanced stage.

- 1.5 In the light of the foregoing facts, I may reiterate the priorities as enumerated below:
 - Nomination of the Record Officers by the Records Creating Agencies under provision of Section 5(1) of the Act and Rule 3 of The Public Record Rules.

एजेंसियों द्वारा अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना।

- इस विभाग द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार अभिलेख कक्षों की स्थापना।
- मंत्रालयों / विभागों द्वारा वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना।
- स्थायी अभिरक्षा और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों का समय पर अंतरण करना, और
- अभिलेखों की रिकार्डिंग, समीक्षा और सूचीकरण करना।

में सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से हृदय से यह अपील करता हूं कि वे स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करें ताकि उनके संबंधित संगठनों में अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों को व्यवस्थित किया जा सके।

> (वी. श्रीनिवास) अभिलेख महानिदेशक,

भारत सरकार

दिनांकः 08/12/2014

National Archives of India

- Training of Record Officers in records management conducted by this Department.
- Establishment of Record Rooms as envisaged under section 5(2) of the Act.
- Downgrading of classified records by Ministries/ Departments.
- Appraisal of non-current records more than 25 years old and
- Ensure timely transfer of appraised records to the National Archives of India for permanent custody and scientific preservation.
- Recording, reviewing and indexing of records.

It is my sincere appeal to all the Records Creating Agencies to take a serious view of the situation and initiate action on these points so as to streamline records management activities in their respective organisations.

(V. Shrinivas) Director General of Archives

Government of India

Date: 08/12/2014

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसे राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है। यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, भारत सरकार के 85 मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को अभिलेख महानिदेशक द्वारा दिनांक 01 मई, 2013 का परिपन्न सं. 16—12(क)/2013—आरएम भेजा गया था, जिसमें उनसे वर्ष 2010 के दौरान ऊपर उल्लिखत खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म—5 में रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों/विभागों से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ऊपर उल्लिखित खंडों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में फार्म—5 में वांछित रिपोर्ट देने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, आदि शामिल थे जिससे अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।


- 2.1 प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2011 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है:--
 - 1. अभिलेख कक्ष की स्थापना करना
 - 2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना;
 - 3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
 - 4. अप्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में जगह की भागीदारी करना;
 - 5. अप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना;
 - 6. 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना;
 - 7. स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची का संकलन/संशोधन करना;
 - 8. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना;
 - 9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन करना;
 - 10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना; और
 - 11. निष्क्रिय आयोग / समितियों, आदि के रिकार्ड का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण करना।

AN OVERVIEW

National Archives of India is an attached office of the Ministry of Culture entrusted with the preservation of the documentary heritage of the nation. It is also the nodal agency for the implementation of The Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997. Under the provisions of the Rule 8 (2) of The Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India, an Annual Report every year on the action taken by the record officers in compliance with the provisions of clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of The Public Records Act, 1993. Accordingly, a circular letter No. 16-12(A)/2013-RM dated 01 May 2013 from Director General of Archives was issued to all the Secretaries of the 85 Ministries/ Departments of Government of India requesting them to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2012. The Ministries/Departments were also requested to issue necessary directives to all their attached and subordinate offices, including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the desired report in Form-5, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above, so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of The Public Records Act, 1993.

- 2.1 The present report has been prepared on the basis of the data received from various Records Creating Agencies on the action taken by them during the year 2011 on the following aspects:-
 - Setting up of Record Rooms;
 - 2. Nomination of Record Officers;
 - 3. Training of record officers and staff;
 - 4. Sharing of space in National Archives of India for housing semi-current records;
 - Recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
 - 6. Appraisal of non-current records more than 25 years old;
 - 7. Compilation/ revision of retention schedules of records of substantive functions;
 - 8. Downgrading of classified records;
 - Compilation of annual indices of records;
 - 10. Compilation of organisational history and
 - 11. Transfer of records of defunct bodies/ committees etc. to National Archives of India.

2.2 इस रिपोर्ट के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिंदुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।



- योग
- प्राप्त प्रतिक्रिया

मंत्रालय / विभाग अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम योग


मंत्रालयः 8.23%

अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयः 0.04%

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमः 5.8%

National Archives of India

2.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the forthcoming chapters of the report.



Ministries: 8.23%

Subordinate/ Attached Offices: 0.04%

Public Sector Undertakings: 5.8%

आंकड़ों का विश्लेषण सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2011 में लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर 85 मंत्रालयों / विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि से सूचना मांगी गई थी। उनसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2012 के दौरान लोक अभिलेख अधिनियम 1993 तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म—5 में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, उक्त अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में केवल 27 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है। तथापि, मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सिहत विभिन्न अभिलेख सृजन एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन को दर्शाने वाले विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी सूचना लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फार्म 4 और 7 में उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट की अविध के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:—

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	अभिलेख सर्जक एजेंसियों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय / विभाग / स्वतंत्र कार्यालय आदि	85	07 (8-23%)
संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	06 (0-4%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	14 (5-8%)
योग	1565	27 (1-72%)

- 3.1 उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया 2011 के 2.81 प्रतिशत की तुलना में केवल 1.72 प्रतिशत ही बैठती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों नामतः मंत्रालयों / विभागों / सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रत्येक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य संगठनों द्वारा अभिलेख प्रबंधन को कम प्राथमिकता दी जाती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि अधिकांश महत्वपूर्ण मंत्रालयों / विभागों ने रिपोर्टें भेजने में चूक की है जबिक उनके अधीनस्थ अनेक संगठनों ने अपनी रिपोर्टें भेजी हैं।
- 3.2 जिन मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक—। में देखे जा सकते हैं।

ANALYSIS OF THE DATA GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of The Public Records Act, 1993 for the year 2011 was sought from 85 Ministries/Departments and their attached and subordinate offices including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the implementation of The Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2012. However, only 27 Records Creating Agencies furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act and Rules. However, information on various aspects reflecting on the implementation of the Public Records Act, 1993 have also been provided by various Records Creating Agencies including Ministries/Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in Form 4 and 7 as mandated under Public Records Rules, 1997. Response/s received during the period under report from various Records Creating Agencies is indicated below in a tabulated form:

Records Creating Agencies	Total number of Records Creating Agencies	Total response received
Ministries/Departments/	85	07 (8.23%)
Independent Offices etc. Attached/Subordinate Offices etc.	1239	06 (0.4%)
Public Sector Undertakings etc.	241	14 (5.8%)
Total	1565	27(1.72%)

- An analysis of the above data reveals that the total response elicited is 1.72 per cent for the present report as compared to 2.81 per cent of 2011. These figures reflect the low priority given to records management by the Records Creating Agencies namely Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings and other organizations under administrative control of each of them. It is important to note that while most of the important Ministries/ Departments have defaulted in sending reports but many organizations under them have sent their reports.
- 3.2 The names of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings, etc. which have furnished information for this report may be seen at *Annexure-I*.

अभिलेख कक्षों की स्थापना

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए बुनियादी पूर्विपक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप—धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिकरण करने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने—अपने मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया था। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

कुल मिलाकर, 27 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि ने सूचना भेजी है जिसमें से 13 मंत्रालय / विभाग / सांविधिक निकाय हैं और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

4.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित है:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) नई दिल्ली; राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली।

4.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं हैं:

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, (खान मंत्रालय) नागपुर।

4.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं:

RECORDS ROOMS - SETTING UP OF

A well-organised Record Room is one of the basic pre-requisite of a sound Records Management system. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all Records Creating Agencies should set up their records room at suitable locations and also place each records room under the charge of a Record Officer. The objective of setting up of the records room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required. Drawing the attention of the Records Creating Agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Record Rooms in their respective Ministry/Department/Office/ Public Sector Undertakings, etc. However, the response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their records room in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect.

In all, a total of 27 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings, etc. have sent information, out of which 13 are Ministries/Departments/Offices/ Statutory bodies and 14 are Public Sector Undertakings under various Ministries of Government of India. Detailed analysis of information received in this regard is given below:

- 4.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that their records rooms are well organised:
 - Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Deptt. of Personnel & Training, New Delhi (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Vice President's Secretariat, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council (Ministry of Home Affairs), New Delhi
- 4.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they do not have a Record Room:
 - National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines) Nagpur.
- 4.3 The following Public Sector Undertakings have reported that they have well organised records rooms:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड,

नोएडा (उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

4.4 निम्नलिखित विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई अभिलेख कक्ष नहीं है:

भारतीय राज्य व्यापार निगम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय)।

4.5 विश्लेषण — यह देखा गया है कि लगभग सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 5 में सूचना उपलब्ध कराई है, ने अपने संगठन में एक समर्पित अभिलेख कक्ष होने की सूचना दी है। उत्तर न देने वाली बड़ी संख्या में अभिलेख सृजन एजेंसियां में अभिलेख कक्ष की स्थिति ज्ञात नहीं है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख अधिकारी/नोडल अधिकारी से संपर्क करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा और उन्हें अनिवार्य आवश्यकता तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धित नियमावली के पैरा 136(2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में एक बार अभिलेख कक्ष की जांच कराने के प्रति जागरूक बनाएगा।

National Archives of India

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited, New Shimla (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

4.4 The following Departments/ Public Sector Undertakings have reported that they have no Record Rooms:

State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture)

Analysis- It has been observed that almost all the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings that have provided information in Form 5, Public Records Rules, 1997 have reported on a dedicated Record Room in their organization. The status of the Record Rooms in the sizeable number of Records Creating Agencies that have not responded is not known. National Archives of India would continue its efforts of contacting the Record Officer / Nodal Officer to sensitize them about the mandatory requirement as also to get the Record Rooms inspected once a year as per provisions of para 136(2) of the Central Secretariat Manual of Office Procedure.

अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में विभिन्न अनुभागों / प्रभागों में समन्वय रखे एवं महानिदेशक अभिलेखागार के साथ विभिन्न कार्यकलापों पर संपर्क बनाए रखे जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण समय—सारणी का संकलन, अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखना शामिल हो। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया था। अभी तक 982 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारियों के रूप में नामित किया है। रिपोर्ट की अविध के दौरान 68 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / पीएसयू ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत कई अधिकारी ने अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को मनोनीत किया है। उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार सिमित, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

5.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे

CHAPTER-5

RECORDS OFFICERS - NOMINATION OF

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Record Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Record Officer is required to coordinate and guide various sections/ divisions of their respective Records Creating Agencies as well as liaisoning with the Director General of Archives for various activities which include *inter-alia*, the compilation of records retention schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India had requested all the Records Creating Agencies falling under the purview of the Act to nominate their Record Officers at the earliest. During the period under report, over 68 Ministries/ Departments/Offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. It is significant to note that many offices under Ministry of Railways from across the country have nominated their Departmental Record Officers. Details of replies received are given below:

5.1 Following Ministries/Departments/Offices have nominated trained Record Officers:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, Ministry of Water Resources, New Delhi; Directorate General, CRPF, New Delhi; Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Vice President's Secretariat of India, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs); National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources);

5.2 The following Public Sector Undertakings have reported that they have nominated Records Officers:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut

(औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), न्यू शिमला, (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

5.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित नहीं किया है:

जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय)।

5.4 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित डीआरओ अधिकारी नहीं हैं:

जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय); सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्ब पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई।

5.5 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित डीआरओ अधिकारी हैं:

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, खान मंत्रालय; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, जल संसाधन मंत्रालय, अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय।

5.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी नहीं हैं:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

5.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी हैं:

National Archives of India

- Nigam Limited (SJVN), New Shimla, (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)
- 5.3 The following Ministries/ Departments have informed that they do not have nominated Record Officers:
 - Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur (Ministry of Mines); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture)
- 5.4 The following Ministries/ Departments/ Offices have intimated that they do not have trained DROs:
 - Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur (Ministry of Mines); Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Vice President's Secretariat, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai
- 5.5 The following Ministries/ Departments/ Offices have reported that they have trained DROs:
 - National Institutes of Miners' Health, Ministry of Mines; Narmada Control Authority, Indore, Ministry of Water Resources; Inter -State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs
- 5.6 The following Public Sector Undertakings have reported that they do not have trained Records Officers:
 - National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited, New Shimla (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata
- 5.7 The following Public Sector Undertakings have reported that they have trained Records Officers:
 - NHPC, Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines);

एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); नाल्को, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

5.8 विश्लेषण — सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 5 में सूचना दी है, ने सूचित किया है कि उनका संगठन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन कर रहा है। तथापि, सूचित न करने वाली अन्य कई एजेंसियों की स्थित स्पष्ट नहीं है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अपने अभिलेख अधिकारियों को नामित करना अपेक्षित होता है और इस कार्यालय आदेश की एक प्रति लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयाजित अभिलेख प्रबंधन पर अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के लिए भेजी जानी होती है। प्राप्त सूचना के अनुसार जहां किसी संगठन या संस्थान ने किसी अभिलेख अधिकारी को सूचित किया है, उसे अभिलेख प्रबंधन में अनिवार्य तौर पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित किए जाने वाले अनेक अभिविन्यास पाठ्यक्रमों पर विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भागीदारों सहित अविध के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का ब्योरा अनुलग्नक—IV में दिया गया है।

National Archives of India

Projects and Development India Limited, Noida (Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

Analysis- All the Records Creating Agencies that have provided information in Form 5, Public Records Rules, 1997 have reported that their organization is complying with the mandatory provision of Public Records Act, 1993. However, the status of many others who have not reported is unclear. All Records Creating Agencies are required to nominate their Records Officers and a copy of this office order is required to be forwarded to Director General, National Archives of India, as per provision of Rule 3 of the Public Records Rules, 1997. The Officers are to be sent for Orientation Courses on Records Management conducted by National Archives of India. As per the reports received even where an organization or institution has nominated a Records Officer, he is not necessarily trained in Records Management. Detailed information on the Calendar of Orientation courses conducted in the National Archives of India is available on the Departmental website. Details of the Orientation Courses conducted during the period including the participants is at Annexure IV.

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध—प्रचित चरण में अभिलेखों का उनकी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाता, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अलग से अभिलेख कक्ष नहीं बनाए गए हैं। इन अधिकांश अभिलेखों को गिलयारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, कट—फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनके एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस संबंध में कुल 27 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है, उनमें से 13 सरकारी और 14 सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें से किसी ने भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के किसी परिसर में उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं दर्शाई है। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं:

6.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, भोपाल में उसके क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डेचरी और भुवनेश्वर में अपने अर्द्ध—प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान बांटने के लिए तैयार नहीं हैं:

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली; राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली।

- 6.2 निम्नलिखित विभाग ने अपनी रिपोर्ट 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' भेजी है:
 - सरोवर निर्माण सलाहकार सिमति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; भारत के उप राष्ट्रपति का सिचवालय, नई दिल्ली; अंतर राज्यीय परिषद, गृह मंत्रालय; जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय)।
- 6.3 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे भारतीय अभिलेखागार (पुनः सत्पापन के लिए) के साथ स्थल को बांटना चाहेंगे और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार, जयपुर में स्थल को बांटना चाहते हैं।

SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the records creating agencies, especially in cases where a separate records room has not been organised. Most of these records are placed in the corridors or stacked haphazardly in the Almirahs. Such conditions are not conducive for the health of the records resulting in wear and tear or destruction of many records containing valuable information. Keeping these issues in mind, National Archives of India has been inviting all the Records Creating Agencies to share space in its headquarters at New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar. In all 27 Records Creating Agencies have furnished information in this regard, out of which 13 are Government Records Creating Agencies and 14 are Public Sector Undertakings. None of them are willing to take up the offer of sharing of space at any of the premises of the National Archives of India. Details of replies received in this regard are as follows:

6.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they do not want to share space at present in the National Archives of India, New Delhi or its Regional Office at Bhopal and Records Centers at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar for housing their semi-current records:

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Department of Atomic Energy, Mumbai; Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre, Nagpur (Ministry of Mines); National Institutes of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter – State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs);

6.2 The following Department has given their report as 'Nil' or 'Not Applicable':

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, Ministry of Water Resources, New Delhi; Vice President's Secretariat of India, New Delhi; Inter State Council, Ministry of Home Affairs; Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre, Nagpur (Ministry of Mines)

6.3 Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi has reported that it would like to share the space with the National Archives of India (to re-verify) and Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources) has conveyed that it is willing to share space at National Archives of India, Jaipur

6.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / प्राधिकारियों आदि ने सूचित किया है कि वे विभिन्न कारणों से अभिलेख भण्डारण स्थान को बांटना नहीं चाहते।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्फोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय) नई दिल्ली; ड्रेजिंग कॉर्फोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), मुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्फोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय)।

6.5 विश्लेषण — अधिकांश मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय या भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय या जयपुर, भुवनेश्वर और पुड्डुचेरी में अभिलेख केन्द्रों पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ जगह बांटने के लिए इच्छुक नहीं है। अर्द्ध—प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय), नई दिल्ली तथा भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर में स्थित अपने तीन अभिलेख केन्द्रों में भी अपेक्षित जगह उपलब्ध करा सकता है।

National Archives of India

6.4 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/Authorities etc. do not want to share records storage space for varied reasons:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut Nigma Limted (SJVN), New Shimla (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

6.5 Analysis- Majority of the Ministries/ Departments and Public Sector Undertaking have reported that they are not keen on sharing space with the National Archives of India at its Headquarter at New Delhi or the Regional Office at Bhopal or the Record Centres at Jaipur, Bhubaneswar and Puducherry. On receipt of request from Records Creating Agencies for sharing of space for their semi-current records, National Archives of India can provide the requisite space in its Regional Office at Bhopal and three of its Records Centers located at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने दिन-प्रतिदिन के लेनदेन में अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पाविध वाले अभिलेखों से पृथक करने और इनका उचित प्रबंधन रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करने, आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9(1) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों को दिनांक 01 मई, 2013 को एक परिपन्न सं0 एफ.16—4 / 2013—आर.एम. जारी किया गया था जिसमें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक—॥ में देखी जा सकती है। दिनांक 01 मई, 2013 के परिपन्न सं0 एफ.16—12क / 2013—आर.एम. के उत्तर में निम्नलिखत मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों, आदि ने सूचना भेजी है। इन दोनों परिपन्नों के उत्तर में प्राप्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

7.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और अभिलेखों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

7.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जिक एसेंसियों ने सूचित किया है कि वे आवधिक अभिलेखन, समीक्षा और फाइलों को नष्ट करने का कार्य नहीं कर रहे हैं:

राष्ट्रीयं लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); जबाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (खान मंत्रालय)।

7.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / प्राधिकारियों आदि ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन एवं समीक्षा कर रहे हैं तथा अभिलेखों को नष्ट कर रहे हैं:

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every records creating agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those ephemeral in nature and to ensure their proper management/ maintenance, timely recording, reviewing and weeding of records are essential steps which are required to be taken by all the records creating agencies. Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rules, 1997 stipulates that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. F. 16-4/2013-RM dated 01 May 2013 was issued to all Ministries/Departments wherein all the Records Creating Agencies were requested to issue necessary directives to all the attached and subordinate offices including the Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. A list of Records Creating Agencies that have sent information may please be seen in *Annexure-II*. In response to another circular letter No. 16-12A/2013-RM, dated 01 May 2013 the following Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information received in response to both these circulars is given below.

- 7.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending to the job of recording, reviewing and weeding of records:
 - Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi; Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi; Vice President's Secretariat of India, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources)
- 7.2 The following Records Creating Agencies have reported that they are not attending to the work of periodical recording, reviewing and weeding of files:
 - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines); National Institute of Miners' Health, Nagpur (Ministry of Mines);
- 7.3 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Authorities, etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing and weeding out of records:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश; राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय) नई दिल्ली; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

- 7.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि ने अपनी रिपोर्टें 'शून्य' भेजी हैं:
 - प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
- 7.5 विश्लेषण लोक अभिलेख नियम, 1977 तथा केन्द्रीय सिववालय कार्यालय नियमावली के अंतर्गत अभिलेखन, पुनरीक्षण और सूचीकरण एक अनिवार्य प्रावधान है। अतः अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करना होता है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख नियम, 1977 के फार्म 7 में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करनी होती है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख नियम 1997 के प्रपत्र 7 में अभिलेखों के अभिलेखन, पुनरुद्धार, सूचीकरण तथा विनष्टीकरण पर अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी होती है तथा उपर्युक्त रिपोर्ट प्रपत्र 5 में प्राप्त सूचना तथा प्रपत्र 7 में प्रस्तुत छमाही रिपोर्टों पर आधारित होती है।

National Archives of India

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh; National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN)Limited, New Shimla (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

7.4 The following are those Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished 'Nil' reports:

Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals and Fertilizers); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata

Analysis- Recording, reviewing and indexing is a mandatory provision under The Public Records Rules, 1997 as also under the provision of Central Secretariat Manual of Office Procedure. Hence, the Records Creating Agencies are required to carry out the work with all seriousness and submit the requisite information in Form 7 of The Public Records Rules, 1997. Half yearly report on the Recording, Reving, Indexing and Weeding out of records in Form 7 of the Public Records Rules, 1997 is to be sent by all record creating agencies and above report is based on information received in Form 5 as also the half yearly reports submitted in Form 7.

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी अभिलेख सर्जक एजेंसी की प्रशासनिक दक्षता, प्राधिकारियों द्वारा समय पर सूचना देने और निर्णय लेने पर निर्भर करती है। अभिलेखों से तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ मीडिया और वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों का श्रेणी 'क' और 'ख' में नियमित रूप से संकलन करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम, 1997 के फार्म 5 में देने का अनुरोध किया था (परिपत्र सं० एफ.16—12(क) / 2013—आर.एम. दिनांक 01 मई, 2013 देखें)। प्राप्त सूचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

8.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन कार्य चल रहा है:

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

8.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने कई तरह के नकारात्मक उत्तर भेजे हैं उदाहरण के लिए संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, आदिः

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (खान मंत्रालय); (गृह मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय)।

8.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / समितियों / कार्पोरेशन आदि ने सूचित किया है कि उनके अभिलेखों के वार्षिक सूचकांक तैयार करने का कार्य चल रहा है:

सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन), न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय)

8.4 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने विविध नकारात्मक उत्तर भेजे हैं जैसे "संकलन नहीं कर रहे हैं / आवश्यक नहीं है / अपेक्षित नहीं है, शून्य":

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद; टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल),

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of a records creating agency depends upon the timely furnishing of information to the decision making authorities. To facilitate quick retrieval of information from records, a good reference media and regular compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records is necessary. The National Archives of India had requested all the Records Creating Agencies (vide its circular No. 16-12(A)/2013-RM dated 01 May 2013) to furnish information in Form 5, Public Records Rules, 1997 on the action taken by them. Details of information reported is as follows:

- 8.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled indices or that the work of compilation of indices is in progress:
 - Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Department Of Personnel & Training, New Delhi; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources)
- 8.2 The following Ministries/Departments/Offices/ Committees have sent varied negative reports like "Not compiling, Not necessary, Not required, Nil, etc.:
 - Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personal Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Vice President's Secretariat, New Delhi; Department of Atomic Energy, New Delhi; Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs); National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Inder –State Council Secretariat, (Ministry of Home Affairs); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines)
- 8.3 The following Public Sector Undertakings/Committees/Corporations etc. have informed that work on preparation of annual indices of their records is in progress:
 - Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN), New Shimla (Ministry of Power)
- 8.4 The following Public Sector Undertakings have sent varied negative reports like "Not compiling/ Not necessary/ Not required, Nil":
 - National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Joint Venture of Government of India and

ऋषिकेश (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय) नई दिल्ली; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

8.5 विश्लेषण — लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 में विनिर्दिष्ट अनुसार अभिलेख सर्जक एजेंसियों का अनिवार्य दायित्व सूचियां तैयार करना। है। तथापि, अधिकांश मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यह कार्यकलाप काफी समय से नहीं किया जा रहा है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों को वार्षिक सूची के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि यह एकमात्र संदर्भ साधन है जिसके द्वारा वर्ष के दौरान संगठन या संस्थान द्वारा सृजित सभी अभिलेखों पर सूचना एकत्र की जा सकती है। अभिलेख अधिकारियों और अन्यों को अभिविन्यास पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं में वार्षिक महत्व और सृजन के महत्व पर बल दिया जाता रहेगा।

National Archives of India

Government of Uttar Pradesh); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam; National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

Analysis: Preparation of Indices is a mandatory responsibility of the Records Creating Agencies as specified in the Public Records Act, 1993. However, over a time this activity is not being undertaken by most of the Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings. The Records Creating Agencies need to understand the importance of the Annual Indices as that could be the only reference tool to gather information on all the records generated by the organization, institution during the year. The importance of Annual indices and creation of the same would continue to be stressed in the orientation courses and workshops for the record officers and others.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार स्थायी कार्यों से संबंधित अपना सरकारी कामकाज करते समय प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी संबंधी एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अविध निर्धारित की गई हो। ऐसी प्रतिधारण सारणियों का उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलन किया जाना चाहिए। कुल 26 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं० एफ.16—12(क) / 2013—आर.एम. दिनांक 01 मई, 2013 के संदर्भ में उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2010 की मौजूदा रिपोर्ट का संकलन करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची बनाने की सूचना माँगी गई थी। इनमें से 13 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि हैं। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

- 9.1 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन कर लिया है: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 9.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार सिमिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय)।

- 9.3 इस संबंध में उप राष्ट्रपति का सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना स्पष्ट नहीं है।
- 9.4 महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे इस संबंध में अपने स्थापना नियमों का पालन कर रहे हैं।
- 9.5 अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा डीओपीएंडटी द्वारा

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES

A sound records management system requires a well drawn up records retention schedule and laying down of correct retention periods for various records groups created by different Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions, as envisaged under Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993. Such retention schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 26 Records Creating Agencies have furnished information in response to the circular letter No.F. 16-12(A)/2013-RM dated 01 May 2013 on formulation of records retention schedules in connection with compiling the present report for the year 2010. Out of these, 13 are Government Records Creating Agencies and 14 belong to the Public Sector. Details of the replies received are indicated below:-

- 9.1 The following offices have informed that they have compiled Records Retention Schedules:
 - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Department Of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi
- 9.2 The following Records Creating Agencies have not compiled Records Retention Schedules for their records and have furnished 'Nil' or 'Not Applicable' reports:
 - Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Department of Atomic Energy, Mumbai; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, Ministry of Home Affairs; National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines)
- 9.3 Report furnished by Vice President's Secretariat in this regard is not clear/ vague.
- 9.4 Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi has reported that they are following their own Establishment rules in this regard
- 9.5 Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs) has informed that Retention Schedule brought out by DOP&T is being followed by them

प्रकाशित प्रतिधारण अनुसूची का पालन किया जा रहा है।

9.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन किया है:

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

9.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों के संकलन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है और अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है:

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय)।

- 9.8 मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे प्रतिधारण अनुसूची के लिए अपनी निजी प्रणाली अपना रहे हैं।
- 9.9 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां कार्रवाई की जा रही है:

स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय)।

9.10 विश्लेषण — यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने अपनी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का संकलन किया है और हमेशा से 'शून्य' रिपोर्टें भेज रहे हैं। कुछ मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने यह भी सूचित किया है कि वे अपनी निजी प्रणाली अपना रहे हैं। चूंकि अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन एक अनिवार्य प्रावधान है अतः सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनकी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन से पूर्व भारतीय अभिलेखागार से जांच करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय अभिलेखागार उन सभी सर्जक एजेंसियों को सहायता देगा जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिधारण सारणियां तैयार नहीं की हैं या उनमें संशोधन नहीं किया है ताकि प्रस्तावित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार / पुनरीक्षण किया जा सके।

9.6 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have compiled their retention schedules:

Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Joint venture of Government of India and Government of Uttar Pradesh); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

9.7 The following Public Sector Undertakings have informed that they have not yet started work on the compilation of the records retention schedules and have submitted 'Nil' reports:

Hindustan Antibiotic Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals & Fertilizers); National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture)

- 9.8 Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence) has informed that they are following their own system for Retention Schedule.
- 9.9 The following Public Sector Undertakings have reported that the work is in progress:

State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN)Limited, New Shimla (Ministry of Power)

9.10 Analysis- It has been observed that very few Ministries/Departments/Offices have compiled their Records Retention Schedules and are furnishing 'Nil' reports. Some of Ministries/Departments/Offices have also informed that they are following their own system. Since the compilation of Record Retention Schedule is a mandatory provision, all Records Creating Agencies are required to expedite the preparation of their Record Retention Schedules and get it vetted by the National Archives of India before its implementation. The National Archives of India would assist all creating agencies that have not prepared or revised their retention schedules so far in preparing / vetting the proposed Records Retention Schedules.

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पाँच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है तािक इनकी श्रेणी को घटाया जा सके। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों सहित सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों को दिनांक 01 मई, 2013 को एक परिपत्र सं0 एफ.16—3 / 2013—आर.एम. जारी किया गया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक—III में देखी जा सकती है। विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने के विषय पर उपलब्ध कराई गई सूचना नीचे दी गई है:

- 10.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है:

 महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), (गृह मंत्रालय); लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, नई दिल्ली (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय)।
- 10.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने विभिन्न रिपोर्ट भेजी हैं जैसे 'लागू नहीं होता', 'शून्य' और 'वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं':
 - केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय); सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (गृह मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय)।
- 10.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण कर रहे हैं:
 - टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय)।
- 10.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा और विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं:

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय) नई दिल्ली; नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (उर्वरक

DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS

Downgrading of classified records is one of the most important aspects of records management. Section 6 (1)(f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lays down that all Records Creating Agencies falling within the purview of said Act shall review all these classified files once in five years with a view to downgrading them. A circular letter No. 16-3/2013 RM dated 01 May 2013 was issued to this effect to all Ministries/ Departments/Offices including Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. A list of Records Creating Agencies (RCAs) who have sent information may please be seen at *Annexure-III*. Information provided by various Records Creating Agencies on the issue of declassifying their classified records is given below:

10.1 The following Ministries/Departments/Offices have downgraded their classified records:

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), (Ministry of Home Affairs) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Department of Public Grievances & Pensions, New Delhi (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)

10.2 The following Ministries/Departments/Offices have given varying reports like 'Not Applicable', 'Nil' and 'Do not have classified records':

Central Water Commission (Ministry Of Water Resources); Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, New Delhi(Ministry of Home Affairs); National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines)

10.3 The following Public Sector Undertakings have informed that they are downgrading their classified records:

Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping);

10.4 The following Public Sector Undertakings have informed that they are not undertaking periodical review and downgrading of classified records:

National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); National Aluminium

विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

- 10.5 मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया है कि नौसेना का अपने वर्गीकृत अभिलेखों पर नियंत्रण है और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय) ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।
- 10.6 विश्लेषण यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वर्गीकृत अभिलेखों का नियमित रूप से विवर्गीकरण कर रहे हैं और इस संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या गैर—प्रतिबद्ध उत्तर दिया है।

National Archives of India

Corporation of India Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

- Mazagon Dock Limited, Mumbai has reported that Navy has control over its classified records and National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles) has given a vague reply.
- 10.6 Analysis- It has been observed that very few Ministries/Departments/ Offices and Public Sector Undertakings are declassifying their classified records or downgrading them regularly and submitting the report in this regard to the National Archives of India. Many of the Ministries/Departments have informed that no classified records are lying with them and some have given non-committal responses

निष्क्रिय आयोग/समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागर ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे तािक उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 01 मई, 2013 का एक परिपत्र सं0 16—5/2013—आर.एम. जारी किया था। कुल 26 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 13 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

11.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के कोई अभिलेख नहीं हैं:

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार सिमति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारत के उप राष्ट्रपति सचिवालय; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय)।

11.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेशनों / सांविधिक निकायों आदि ने 'उन पर लागू नहीं होता' या 'शून्य' रिपोर्ट भेजी हैं.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय) नई दिल्ली; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा; स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय);

DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. It is needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein serves as valuable source material for understanding the circumstances under which these were set up and the work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2013-RM dated 01 May 2011, to all records creating agencies. In all, 26 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these, 13 are Government Records Creating Agencies and 14 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below:

11.1 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they do not have any records of defunct bodies:

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Central Water Commission, Ministry of Water Resources, New Delhi; Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi; Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Vice President's Secretariat of India, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai; Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs); National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines)

11.2 The following Public Sector Undertakings/Corporations/Statutory Bodies etc. have submitted 'Not applicable to them' or 'Nil' reports:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation of India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam; National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida; State Trading Corporation of India Limited, New Delhi Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Ministry of Commerce & Industry);

मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

11.3 विश्लेषण — संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कार्य कर रहे विभागीय अभिलेख अधिकारियों में निष्क्रिय आयोगों / समितियों के अभिलेखों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के प्रति एजेंसियों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार इसे संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों या एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके प्राप्त करने का प्रयास करता है।

National Archives of India

Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Sutlej Jal Vidyut Nigam Limited (SJVN), New Shimla (Ministry of Power); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

11.3 Analysis- There is a need to arouse consciousness agencies for the historical and administrative importance of the records of the defunct Commissions/ Committees amongst the Departmental Records Officers working in the concerned records creating agencies. National Archives of India strives to achieve it through organizing orientation courses or one day workshop in the concerned records creating agencies.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना एक सांविधिक आवश्यकता है। यदि इसे कार्यान्वित किया जाए तो इससे नए अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए अतिरिक्त शेल्फ जगह उपलब्ध होगी तथा स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करने की सुविधा भी होगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 01 मई, 2013 का परिपत्र सं0 16—12क / 2013—आर.एम. जारी किया गया अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 01 मई, 2013 का परिपत्र सं0 16—12क / 2013—आर.एम. जारी किया गया अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक वी गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 26 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना दे दी है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं:

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग; नई दिल्ली।

12.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); अंतर राज्यीय परिषद, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, इंदौर (खान मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय)।

12.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेशनों / सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं:

राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings is a statutory requirement under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993. If implemented this provides additional shelf space for the scientific storage of fresh records and also facilitates the transfer of records of permanent nature. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2013-RM dated 01 May 2013 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the aforementioned circular, 26 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Detailed analysis of information received is indicated below:

12.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that work of getting their records appraised is being done:

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Department of Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi; Department of Atomic Energy, New Delhi

12.2 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they have not conducted appraisal of non-current records:

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorie; Vice President's Secretariat, new Delhi; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, Ministry of Home Affairs; National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, (Ministry of Mines)

12.3 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies, etc. have informed that they have appraised or are getting their records appraised:

National Hydroelcectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limted (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); Sutlej Jal Vidyut Nigam Limited (SJVN), New Shimla (Ministry of Power); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

12.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेशनों / सांविधिक निकायों आदि ने अपने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं कराया है:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); नेशनल सीडस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम (पोत परिवहन मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); प्रोजक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) नई दिल्ली; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

12.5 विश्लेषणः प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन न करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की संख्या राष्ट्रीय अभिलेखागार सिंहत कार्य करने वाली एजेंसियों की तुलना में अधिक है। संस्कृति एजेंसियों की संख्या राष्ट्रीय अभिलेखागार मंत्रालय के अनुमोदन से प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने "विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण और स्थानांतरण'' परियोजना के अंतर्गत मामले में अपनी ओर से कार्रवाई प्रारम्भ की है। इस परियोजना के माध्यम से नियमित मूल्यांकन करने, फाइलों की अंतरण सूची तैयार करने, एआईएमएस सॉफ्टवेयर में अप्रचलित फाइलों की डॉटा एंट्री (इस विभाग का कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर) में अप्रचलित फाइलों की डॉटा एंट्री तथा उन्हें स्थायी वैज्ञानिक परिरक्षण को अंतरित करने की कार्रवाई को ऑडट सॉर्सिंग के जरिए प्रशिक्षित अभिलेख सहायकों द्वारा किया जाता है। हालांकि इस मामले में संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा भी गंभीर उपाय / कार्रवाई किए जाने अपेक्षित हैं।

National Archives of India

12.4 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/Statutory Bodies etc. have not appraised their non-current records:

National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textile); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); National Seeds Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Aluminium Corporation Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

Analysis- As per information received, the number of Records Creating Agencies not getting their non-current records appraised exceeds those getting the work undertaken along with the National Archives of India. As part of the Critical Area Projects initiated with the approval of the Ministry of Culture National Archives of India has continued the action started last year under the project "Survey, inspection, appraisal and transfer of non-current public records of various Ministries/ Departments". Through this project, regular appraisal, preparation of transfer lists of files, data entry of non-current files in the AIMS software (customized software of this department) and their transfer to the National Archives of India for permanent scientific preservation is done by Archival Assistants engaged through out-sourcing. However, serious steps/action also required from the concerned Records Creating Agencies in the matter.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। इसके अनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि को दिनांक 01 मई 2013 के परिपत्र सं0 16–2/2013 आर.एम. जारी करते हुए उनसे अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने के लिए उनके द्वारा 2010 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तरों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:—

13.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनों के इतिहास का संकलन किया है और उनकी प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

केन्द्रीय जल आयोग, (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली; महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली; भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई; पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी, मुंबई (सूचना और प्रसारण मंत्रालय); प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो, नई दिल्ली (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (खान मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (जल संसाधन मंत्रालय)।

- 13.2 सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय) ने अस्पष्ट रिपोर्ट भेजी है।
- 13.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की है:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली; जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, खान मंत्रालय।

13.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्रों / सांविधिक निकायों / सिमितियों / कॉर्पोरेशनों / आयुक्तों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन किया है:

ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6 (1) (i) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organizational history, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. In accordance with this, National Archives of India issued a circular letter No 16-2/2013 RM dated 01 May 2013 to all Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information with regard to the action taken by them during the year 2010 for compiling their organisational histories. Response/s received from various Ministries/Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarized below:-

13.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled organizational history and submitted copies of the same:

Central Water Commission, New Delhi (Ministry of Water Resources); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affaris); Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi; Vice President's Secretariat of India, New Delhi; Department of Atomic Energy, Mumbai; Department of Pension & Pensioners' Welfare, New Delhi (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions); Children's Film Society, Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting); Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions); Indian Bureau of Mines, New Delhi (Ministry of Mines); Narmada control Authority, Indore; Vice President's Secretariat, New Delhi; Institute of Secretarial Training & Management, New Delhi (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources); Inter State Council, New Delhi (Ministry of Home Affairs); National Institutes of Miners' Health, Indore (Ministry of Mines); Narmada Control Authority, Indore (Ministry of Water Resources)

- 13.2 Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources) has submitted a vague report.
- 13.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have submitted 'Nil'report:

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Department of Atomic Energy, New Delhi; Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Ministry of Mines.

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएवडीसीआईएल), टिहरी (विद्युत मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); स्टेट फार्मस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)।

13.5 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने 'नहीं', 'शून्य' सूचना भेजी है:

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय); प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (कृषि मंत्रालय); टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश (विद्युत मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय)।

13.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके संगठन का संगठनात्मक इतिहास तैयार किया जा रहा है:

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, न्यू शिमला (विद्युत मंत्रालय)।

13.7 विश्लेषण — लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(प) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिवर्ष उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन पर सूचना प्राप्त करने के लिए एक परिपत्र जारी करता है। हालांकि कुछ अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सकारात्मक सूचना दी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अभी तक अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है। संबंधित अभिलेख एजेंसियों को अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने / उसे तैयार करने / अद्यतन बनाने के लिए गंभीर उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

13.4 The following public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations/ commissioners have confirmed that they have compiled their organizational history:

Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Numaligarh Refineries Limited, Assam (Ministry of Petroleum & Natural Gas); National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Tehri (Ministry of Power); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); State Farms Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Agroculture); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers)

13.5 The following Public Sector Undertakings have conveyed 'No', 'Nil' information:

Hindustan Fertilizer Corporation Limited, (Ministry of Chemicals & Fertilizers); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur (Ministry of Mines); Projects and Development India Limited, Noida (Ministry of Chemicals & Fertilizers); State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); National Aluminium Corporation Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); National Seeds Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Agriculture); Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh (Ministry of Power); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence);

13.6 The following Public Sector Undertakings have reported that the work of preparing Organizational History of their organization is under process:

Numaligarh Refineries Limited, Assam (Ministry of Petroleum & Natural Gas); National Handloom Development Corporation, Lucknow (Ministry of Textiles); Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited, New Shimla (Ministry of Power)

13.7 Analysis- As part of information being gathered on the implementation of section 6(1) (i) of the Public Records Act, 1993, National Archives of India issues a circular letter every year to all the Central Government Ministries/Departments and Public Sector Undertakings seeking information on compilation of their organisational histories. While positive information has been provided by some of the records creating agencies, a large number of the Records Creating Agencies have not compiled their organisational histories so far. Concerned record creating agencies need to understand the importance of compiling/preparing/updating their organisational histories and submit the same to the National Archives of India.

''क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों को दिनांक 01 मई, 2013 का परिपन्न सं0 एफ.16—6 / 2013—आर.एम. जारी किया था जिसमें उनसे यह मामला उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था तािक वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा भेजा गया ब्यौरा निम्नानुसार है:

- 14.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए:
 - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्लीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्लीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्लीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय)य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)य रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली।
- 14.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए:
 - नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्कों), भुवनेश्वरय वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय)य ट्राइबल को—ओपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय)।
- 14.3 ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उन्हें किसी अभिलेख की माइक्रोफिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- 14.4 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि वह न तो कोई सांविधिक निकाय है और न ही कोई कॉर्पोरेशन है जो लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्षेत्राधिकार में आता हो और जिसे अभिलेख सर्जक एजेंसी के रूप में माना जाए।
- 14.5 केन्द्रीय पत्प और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि ''क'' श्रेणी के अभिलेख के रूप में दस फाइलों की पहचान की गई है जिसके लिए 2011 वर्ष को शामिल किया गया है। इसके अलावा, इन्हें विभागीय अभिलेख कक्ष में रखा गया है और उनकी वर्तमान वास्तविक स्थिति अच्छी सूचित की गई है।
- 14.6 विश्लेषण यह देखा गया है कि केवल कुछ मंत्रालयों / विभागों ने 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में आवश्यक प्रारंभिक पहल और रचनात्मक उपाय किए हैं। अधिकांश सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of microfilming of 'A' category records lying in the custody of records creating agencies, The National Archives of India issued a circular letter No. F.16-6/2013-RM dated 01 May 2013 to all Ministries/Departments/Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their attached/ subordinate offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. Details provided by the record creating agencies are as given below:

- 14.1 The following Ministries/Departments have informed that no such category of records is available and the information may be treated as 'nil':
 - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Salt Commissioner, Jaipur (Department of Industrial Policy & Promotion ,Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Ministry of Commerce & Industry, New Delhi; Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry); Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi;
- 14.2 The following Public Sector Undertakings have informed that no such category of records are available and the information may be treated as 'nil':
 - National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar; WAPCOS Limited New Delhi(Ministry Of Water Resources); Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Welfare);
- 14.3 Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping) has informed that they do not need microfilming of any record.
- 14.4 Engineers India Limited has stated that it is neither a statutory body nor a corporation so as to come within the purview of Public Record Act, 1993 and to be treated as Records Creating Agency.
- 14.5 Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi has informed that ten files have been identified as "A" category record for which the inclusive year is 2011. Also that they are kept in the Departmental Records Room and their present physical condition is good.
- 14.6 Analysis- It has been observed that very few Ministries/Departments have taken the necessary initiative and constructive steps in respect of microfilming of 'A' category records. Most of the creating agencies have informed that no such category of records is available with them and the information may be treated as 'Nil'.

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं, को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत विभागीय अभिलेख अधिकारियों को लोक अभिलेखों, जो पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने हैं, का बनाया गया है। उन्हें इन अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है तािक वे स्थायी महत्व के अभिलेखों की पहचान कर सकें और उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर सकें।

- 15.1 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य योजना को भी अग्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों / विभागों, आदि के स्वतंत्रता-पूर्व अविध के अप्रचालित अभिलेखों के मूल्यांकन और स्थानांतरण शामिल हैं।
- 15.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागर ने 1,76,710 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। वर्ष के अंत में 1,93,758 फाइलों (पूर्व में मूल्यांकित अभिलेख सिहत) को स्थायी तौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागर में रखने के लिए स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। इन आंकड़ों में कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनका पूर्व के वर्षों में मूल्यांकन किया गया था। यह कार्य "विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के अप्रचलित लोक अभिलेखों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और स्थानांतरण की परियोजना के अंतर्गत इस विभाग के पुरालेखपालों और विरष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण" के अंतर्गत 20 पुरालेखपाल सहायकों द्वारा किया गया है"। स्थायी प्रतिधारण पर विचार करना दीर्घावधि प्रशासनिक महत्व का रहा है तथा यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व के अभिलेखों के रूप में भी उनकी उपयोगिता दर्शाता है।
- 15.3 "अभिलेखों / अभिलेख कक्षों के सर्वेक्षण और निरीक्षण, लोक अभिलेखों के मूल्यांकन और स्थानांतरण" नामक महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजना के भाग के रूप में जनवरी से दिसंबर, 2012 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेखों का मूल्यांकन किया और उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित किया गया। प्रतिधारण के लिए चिह्नित अभिलेखों का प्रतिशत 97.8% नष्ट करने के लिए चिह्नित अभिलेखों का प्रतिशत 1.9%
 - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली (1976–1986)
 - गढ़वाल राइफल्स, लांसडाउन के अभिलेख (1928–1948)
 - गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग, नई दिल्ली (1951-1953)
 - गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, नई दिल्ली (1972–1987)
 - गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (1831-1988)
 - गृह मंत्रालय, एफ.सी.आर.ए., नई दिल्ली (1985–1986)

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, The Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, under section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 Departmental Record Officers have been made responsible for appraisal of public records which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identify records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

- 15.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc.
- During the period, National Archives of India apprised 1,76,710 non-current public records. At the end of the year 1,93,758 files (including records appraised earlier) were recommended for permanent retention and transferred to the National Archives of India. This work has been done by 20 Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department under the project "Survey, Inspection and Transfer of Non-Current Public Records of Various Ministries/ Departments". Consideration for permanent retention has been long term administrative value, as also their usefulness as records of historical, cultural and financial importance.
- 15.3 During the period January to December 2012 as part of the Critical Area Project, "Survey and Inspection of Records/ Records rooms, appraisal and transfer of public Records", the following records were appraised and transferred to the National Archives of India. Percentage of Record marked for Retention 97.8%. Percentage of Record marked for Weeding 1.9%
 - Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi (1976-1986)
 - Records of the Garhwal Rifles, Lansdowne (1928 1948)
 - Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division, New Delhi (1951 1953)
 - Ministry of Home Affairs, Freedom Fighters Division, New Delhi (1972-1987)
 - Ministry of Home Affairs, New Delhi (1831 1988)
 - Ministry of Home Affairs, F.C.R.A., New Delhi (1985–1986)
 - Ministry of Home Affairs, Justice Mukharji Commission and Kudal Commission of Enquiry (1970-1989)

- गृह मंत्रालय, न्यायाधीश मुखर्जी आयोग तथा कुडाल जांच आयोग (1970–1989)
- विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली (1949-1987)
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली (1902-1955)
- जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली (1986-1987)
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली (1948–1986)
- प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली (1946-1987)
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली (1970–1987)
- एकाधिकार और प्रतिबंधित तथा प्रतिबंधित व्यापार शाखा आयोग (एमआरटीपी आयोग), नई दिल्ली (1984–1989)

इन अभिलेखों के अलावा, विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों नामतः पुनर्वास प्रभाग एवं स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय; राष्ट्रपति सचिवालय; भूमि और विकास कार्यालय; कोयला मंत्रालय; भारतीय चुनाव आयोग; वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (डीजीईएण्डटी) में रखे अभिलेखों का मूल्यांकन करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

- 15.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), भुवनेश्वर, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी और क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने जनवरी से दिसंबर, 2012 तक की अविध के लिए अभिलेखों के मूल्यांकन पर 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।
- 15.5 विश्लेषण सभी सर्जक एजेंसियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार को 25 वर्ष से अधिक पुराने मूल्यांकन न किए गए अपने बल्क अभिलेखों के संबंध में कार्रवाई करना अपेक्षित होता है तािक राष्ट्रीय अभिलेखागार समय पर मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें तथा तत्पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को स्थानांतरित किया जा सके।

National Archives of India

- Ministry of External Affairs, New Delhi (1949-1987)
- Archaeological Survey of India, New Delhi (1902-1955)
- Ministry of Water Resources, New Delhi (1986-1987)
- Central Reserve Police Force, New Delhi. (1948–1986)
- Prime Minister's Office, New Delhi (1946 1987)
- Ministry of Labour and Employment, New Delhi (1970-1987)
- Monopolies and Restrictive and Restrictive Trade Branches Commission (MRTP Commission), New Delhi (1984-1989)

Apart from these records efforts are continuing to get the records lying appraised in various Records Creating Agencies namely, Rehabilitation Division and Freedom Fighter Division, Ministry of Home Affairs; President's Secretariat; Land and Development Office; Ministry of Coal; Election Commission of India; Forest Research Institute, Dehra Dun; Central Reserve Police Force and Ministry of Labour and Employment (DGE&T).

- 15.4 The National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar, Records Centre (Southern Zone), Puducherry and Regional Office, Bhopal have submitted 'Nil' report on appraisal of records for the period January to December 2012.
- 15.5 Analysis- Action is required on the part of all Records Creating Agencies to inform National Archives of India regarding the bulk of their records which are more than 25 years old, so as to enable the National Archives of India to take necessary steps for their timely appraisal and subsequent transfer of such type of records of enduring value to the National Archives of India.

संदर्भ माध्यम तैयार करना

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा तैयार कराए जाने की जरूरत होती है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु—सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

- 16.1 इस विभाग ने लोक—अभिलेखों, आदि के संदर्भ मीडिया तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव को अनुमोदित कार्य—योजना भी अग्रेषित की है।
- 16.2 इस अविध के दौरान भारतीय अभिलेखागार ने विभिन्न श्रृंखलाओं / अविधयों के सैन्य विभाग की 1,07,343 फाइलों / अभिलेखों का संदर्भ मीडिया तैयार किया है:-
 - (क) सैन्य विभाग, कमांडर इन चीफ द्वारा जारी सामान्य आदेश 1855-99
 - (ख) कमांडर इन चीफ, पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी सामान्य आदेश 1830-1892
 - (ग) बंगाल वार्षिक सैन्य विवरण, 1760-1858
 - (घ) पदक रोल, पदक प्रारूप और पदक पत्राचार 1792-1853

इस कार्य को अभिलेखागारों तथा इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नौ अभिलेखीय सहायकों द्वारा किया गया है।

- 16.3 निजी कागजातों का अधिग्रहण
 - वर्ष 2012 के दोरान अधिग्रहित निजी कागजातों का ब्यौराः
 - मुल्कराज आनंद कार्गजातः राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इस संग्रह में लगभग 2300 पुस्कों और एक लाख से अधिक महत्वपूर्ण पत्राचार, फोटोचित्र, कलाकृतियां, पदक और उपाधियों को अधिग्रहित किया गया।
 - 2. गांधी कालेनबैच कागजातः इस संग्रह में 1,540 पत्र, यंग इंडिया के 451 अंक, हरिजन के 362 अंक तथा 287 फोटोचित्र शामिल थे।
 - 3. होमी भाभा कागजातः इसमें 53 पुस्तकें, 164 पत्रिकाएं और कुछ फोटोचित्र रिपोर्टें, 186—(लघु) पत्रिकाएं, 10 (अति लघु) पत्रिकाएं और कुछ फोटोचित्र शामिल थे।
 - 4. जे. कृष्णामूर्ति कागजात इसमें पाण्डुलिपियां (1365 पृष्ठ), टाइपस्क्रिप्ट (7 पृष्ठ) पत्र (4), प्रकाशित पुस्तकें (65), जीवनी (3) तथा जे. कृष्णामूर्ति के कागजात की पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद शामिल है।

PREPARATION OF REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be prepared by each and every organisation. Accordingly, National Archives of India, as stipulated under section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

- 16.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area projects on preparation of Reference Media of Public Records etc.
- 16.2 During the period, National Archives of India prepared reference media of 1, 07,343 files/records of Military Department of various series/periods are:-
 - (a) Military Department, General Orders by Commaner In Chief, 1855-99
 - (b) General Orders by Commander In Chief, PWD 1830-1892
 - (c) Bengal Annual Military Statement, 1760-1858
 - (d) Medal Rolls, Medal Draft & Medal Correspondence, 1792-1853

This work has been done by nine Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

16.3 Acquisiton of Private Papers

Details of Private Papers acquired during the year 2012:

- Mulkraj Anand Papers: The collection comprising approximately 2300 books and more than one lakh important correspondences, photographs, artifacts, medals and degrees was acquired by the National Archives of India.
- 2. Gandhi Kallenbach Papers: The collection comprising 1,540 letters, 451 issues of Young India, 362 issues of Harijan and 287 photographs.
- 3. Homi Bhabha Papers: Comprsing 53 Books, 164 Journal and some photographs reports, 186 (atom) journals, 10 (nuclear) journal and some photographs.
- 4. J. Krishnamurti Papers Comprising Manuscripts (1365 pages), typescripts (7 pages) letters (4), Published books (65), Biography (3), and translation of a books of J. K rishanamurti Papers in various language.

16.4 वर्ष 2012 के दौरान तैयार निजी कागजातों के संदर्भ मीडिया का ब्यौराः

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित निजी कागजातों की विषय/जांच सूचियां तैयार की गई थी:

- 1. डा० वाई सुब्बाराव कागजात (140 पत्र; विषय सूची)
- 2. मोरारजी देसाई कागजात (1268 पत्र; विषय सूची)
- 3. एस.एस. रावल कागजात (1400 पत्र; विषय सूची)
- 4. गांधी कालेनबैक कागजात (1540 मदें; जांच सूची)
- 16.5 विश्लेषण सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में उनके पास उपलब्ध सभी अभिलेखों के संदर्भ मीडिया अर्थात् विषय—सूची, अंतरण सूची, मांग—पत्र आदि तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। ऐसे अभिलेख जिन्हें संदर्भ मीडिया के बिना राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित किया गया है, महत्वपूर्ण चिंता वाले क्षेत्रों के माग के रूप में एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना से ऐसे सभी अभिलेखों की श्रृंखला को शामिल किए जाने की उम्मीद है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार के क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुड्डुचेरी और मुवनेश्वर में भोपाल और एनएआई अभिलेख केन्द्रों को शोधकर्ताओं और प्रशासकों द्वारा सूचना को शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपने अभिरक्षण में सभी अभिलेखों में उपयुक्त संदर्भ मीडिया तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

16.4 Details of reference media of Private Papers prepared during the year 2012:

Subject/ Check lists of the following private papers were prepared during the period:

- 1. Dr. Y. Subbarow Papers (140 letters; subject list)
- 2. Morarji Desai Papers –(1268 letters; subject list)
- 3. S.S. Rawal papers (1400 letters; subject list)
- 4. Gandhi Kallenbach Paper (1540 items; check list)
- 16.5 Analysis- Action is required on the part of all creating agencies to take necessary steps for preparation of reference media i.e. subject lists, transfer lists, catalogues, etc. of all the records available with them in their departmental records room on priority basis. For such records that have been transferred to the National Archives of India without reference media, a project has been initiated as part of critical areas of concern. The project is hoped to cover all such records series that are without any reference tools of retrieval. Regional Office of the National Archives located at Bhopal and NAI Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar also need to take necessary steps for preparation of suitable reference of all records in its custody to facilitate easy retrieval of information by researchers and administrators.

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने का अधिकार है। इसी, प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) में भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्य करने का भी प्रावधान है।

इस विभाग ने लोक अभिलेखों पर कार्रवाई करने और उन्हें प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव द्वारा अनुमोदित कार्य—योजना को भी अग्रेषित किया है। यह कार्य इस विभाग के पुरालेखपालों और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अभिलेखीय सहायकों द्वारा किया गया था।

- 17.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित निम्नलिखित लोक अभिलेखों को वर्ष 2012 के दौरान अधिग्रहित किया गया थाः
 - गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (1929-1998)
 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली (1941-1986)
 - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (1973-1983)
 - शहरी विकास, भूमि और विकास मंत्रालय (1919-1958)
 - गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग (1951-1953)
 - गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग (1972-1998)
 - गृह मंत्रालय अधिग्रहण / संधि / करार (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) अंतर्राष्ट्रीय सीमा / विविध मानचित्र (1831–1985)
 - रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का एकीकृत मुख्यालय (1921-1948)
 - पर्यवरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली (1980–1984)
 - आकाशवाणी (1939—2005)

रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्त लोक अभिलेखों की कुल संख्या 1,05,760 फाइलें हैं।

17.2 उपर्युक्त के अलावा, कार्टोग्राफी अनुभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ने 272 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और विविध मानचित्रों (1856–1969) का अधिग्रहण किया, जो गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त हुए थे।

ACQUISITIONS / ACCESSIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the Records Creating Agencies falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise.

This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area projects on processing and accessioning of Public Records. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

- 17.1 The following public records transferred to the National Archives of India, New Delhi were accessioned during the year 2012:
 - Ministry of Home Affairs, New Delhi (1929 1998)
 - Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of Personnel Training,
 New Delhi (1941 1986)
 - Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (1973

 1983)
 - Ministry of Urban Development, Land and Development(1919–1958)
 - Ministry of Home Affairs, Rehabilitation division (1951 1953)
 - Ministry of Home Affairs, Freedom Fighter Division (1972 1998)
 - Ministry of Home Affairs- Instruments of Accession/ Treaty/ Agreement(National and International) international Boundry/ Miscellaneous Maps (1831 – 1985)
 - Integrated HQ of Ministry of Defence (Army)New Delhi(1921 1948)
 - Ministry of Environment and Forest, New Delhi (1980 1984)
 - All India Radio (1939 2005)

Total number of public records accessioned during the period under report are 1, 05,760 files.

17.2 In addition to the above, Cartography Section, National Archives of India, New Delhi accessioned 272 maps of International Boundary and miscellaneous maps (1856-1969) were received from ministry of Home Affairs North Block, New Delhi

17.3 वर्ष 2012 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अधिग्रहणः शून्य

17.4 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में अधिग्रहणः

- पेटेंट एवं डिजाइन, कोलकाता 22,950 फाइलें (1966–68 तक की 9,500 फाइलें तथा 1966–69 तक की 13,450 फाइलें); पेटेंट क्रम संख्या 114651 से 128100 है।
- खान और सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद 225 फाइलें (1902–1942) कुल अधिग्रहित फाइलों की संख्या 23,175 है।

17.5 अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी में अधिग्रहणः

101 पुस्तकें तथा 43 दुर्लभ पुस्तकों (सामाजिक, आर्थिक और पांडिचेरी तथा दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित विषय) की फोटोप्रतियां, 1962—2005 तक की अवधि की प्रेस कतरनों (70 शीटों) के दो फोल्डर, एक दुर्लभ विश्व एटलस, ट्रांकाबार किले के चार फोटोचित्र, तथा प्रसिद्ध लेखक एवं राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता श्री क्लेमेंट ईश्वर द्वारा दान में दिए गए दो मानचित्र (पांडिचेरी तथा तमिलनाडु)।

17.6 विश्लेषणः राष्ट्रीय अभिलेखागर द्वारा उपहार या अन्यथा खरीद द्वारा किसी निजी स्रोत से राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के किसी अभिलेख को प्राप्त करने के लिए देश के प्रमुख समाचार—पत्रों में प्रति वर्ष विज्ञापन प्रकाशित किया जाएं और इन अभिलेखों का अधिग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को अवाप्ति रिजस्टरों में इसकी उपयुक्त प्रविष्टियां करनी चाहिए तथा संबंधित लोगों को पावती भी जारी की जानी चाहिए। ऐतिहासिक महत्व के अधिक अभिलेखों को उपहार या दान के रूप में प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- 17.3 Accessions at Regional Office, Bhopal during the year 2012 Nil
- 17.4 Accession at the Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar:
 - Patent & Designs, Kolkata 22,950 files (9,500 files of 1966-68 and 13,450 files of 1966 –
 69); Patent serial number is 114651 to 128100.
 - Director General of Mines and Safety, Dhanbad 225 files (1902 1942) Total No. of files are accessioned 23,175.
- 17.5 Accession at Records Centre (Southern Zone), Puducherry:

101 Books and photocopies of the 43 rare books (Subjects relating to Socio, Economic and Cultural History of Pondicherry and Southern India), two folders of Press Clippings (70 Sheets) covering the Period 1962 – 2005, one Rare world Atlas, four photographs of Tranqabar fort, and two maps (Pondicherry and Tamil Nadu) donated by Shri Clement Eswar, famous writer and Recipient of National Solidarity award were Accessioned.

Analysis-Action is required on the part of National Archives of India to publish an advertisement every year in leading newspapers of the country for the acceptance of any records of national or historical importance from any private source by way of gift or purchase otherwise and after the acquisition of these records, National Archives of India should make suitable entries of the same in the accession registers and also issue acknowledgement to the concerned. Efforts to acquire more records of historical importance as gifts or donations need to be made.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है तािक नए विषय शीर्ष शािमल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अविध में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शािमल हो गए हैं। वर्ष 2010 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागर ने छः मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:—

- 18.1 जनवरी-दिसंबर, 2012 के दौरान पुनरीक्षण के लिए प्राप्त स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की कुल संख्याः 08 (आठ)।
- 18.2 इस अवधि के दौरान स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के पुनरीक्षण के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / पीएसयू का मौके पर अध्ययन किया गया।
 - क) प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - ख) भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, नई दिल्ली
 - ग) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव
 - घ) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
 - ड.) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई
 - च) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
 - छ) राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
 - ज) कोल इंडिया प्रा. लिमिटेड, रांची
- 18.3 प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव के स्थायी अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची को अंतिम रूप दिया गया तथा उसे कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों / विभागों को भेजा गया।
- 18.4 स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के पुनरीक्षण कार्य में महसूस की गई कठिनाइयां:
 - आरसीए द्वारा अग्रेषित स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का प्रारूप निर्धारित

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Record Officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These records retention schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned Records Creating Agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of various directorates of six Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings during 2010. Detailed information is given below:

- 18.1 Total number of Records Retention Schedules of Substantive Records received for vetting during January December 2012: 08(eight).
- 18.2 On the spot studies of the following Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs for vetting of the Records Retention Schedule of Substantive Records were undertaken during the period:
 - a) Prime Minister office's South Block, New Delhi
 - b) Airport Authority of India, New Delhi
 - c) Power Grid Corporation of India Ltd., Gurgaon
 - d) Cabinet Secretariat, Rastrapati Bhawan, New Delhi.
 - e) Cotton Corporation of India, Mumbai.
 - f) National Archives of India, New Delhi.
 - g) The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.
 - h) Coal India Pvt. India Limited, Ranchi.
- 18.3 Records Retention Schedule of Substantive Records of Prime Minister office's South Block, New Delhi, Airport Authority of India, New Delhi and Power Grid Corporation of India Ltd., Gurgaon were finalized and sent to Ministers/Departments for Implementation.
- 18.4 Difficulties experienced, if any, in the work of vetting of Records Retention Schedule of Substantive Records:
 - The draft Records Retention Schedules of Substantive Records forwarded by RCAs are not

दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है।

- मूल संदर्भ दस्तावेजों जैसे संगठनों के अनुभागों / शाखा में उपलब्ध फाइल रिजस्टरों का न होना। वर्ष 2012 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर और अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र) पुड्डुचेरी ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
- 18.5 विश्लेषणः यह देखा गया है कि अधिकांश मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार नहीं की हैं, तथा अधिकांश मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का भी संशोधन किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी सर्जक एजेंसियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्राथमिकता के आधार पर उनकी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार / पुनरीक्षा / संशोधन करने के लिए आवश्यक सहायता / मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध करें।

भोपाल में एनएआई क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित उसके अभिलेख केन्द्रों को भी अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार / संवीक्षा करने का कार्य करने की जरूरत है।

as per the prescribed guidelines.

 Lack of basic reference documents such as file registers available in the sections/ branch of the organizations.

The National Archives of India, Regional Office, Bhopal, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar and Records Centre (Southern Zone) Puducherry have submitted 'nil' report for the work during the year 2012.

Analysis-It has been observed that most of the Ministries/Departments/Offices have not prepared their records retention schedules so far and records retention schedules of most of the Ministries/Departments/Offices are also due for revision. Keeping this in view, action is required on the part of all creating agencies to request National Archives of India for necessary help/ guidance for the preparation/ vetting/ revision of their records retention schedules on priority basis.

NAI Regional Office at Bhopal and its Records Centers located at Jaipur and Puducherry, too need to take up the work of preparation / vetting of Records Retention Schedules of offices in their respective regions.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(प) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध—प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों, इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे हैं।

- 19.1 निम्नलिखित को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई गई:
 - क) रेप्रोग्राफिक सेवाएं:
 - क. श्री विनोद कुमार ढाका, इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड
 - ख. श्री संजीव शर्मा, अपर महानिदेशक (परियोजना), रक्षा संपदा महानिदेशालय, दिल्ली कैंट।
 - ग. पंकज राग, आई.ए.एस., पुरातत्व आयुक्त निदेशालय, अभिलेख और संग्रहालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
 - घ. डॉ० डी. सोनोवाल, अभिलेख निदेशक, असम, गणेश मंदिर के सामने, गुवाहाटी
 - ड. श्री मुथुकृष्णन, उप सचिव, राज भवन, मुंबई
 - च. श्री शिव कुमार शर्मा, निदेशक टीडी, 501 (एस), केन्द्रीय जल आयोग, तकनीकी प्रलेखन निदेशालय, नई दिल्ली
 - छ. श्री एस.जी. शाह, रजिस्ट्रार, भारतीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
 - ज. डॉ० महेन्द्र खडगावत (निदेशक), राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
 - झ. डॉ० एस. श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, क्यूसीआई, जन्म और मृत्यु विभाग, एनडीएमसी
 - ञ. सुश्री रूबीना बेग, कार्यकारी निदेशक, उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ, उ.प्र.
 - ट. प्रो. महेश रंगराजन, निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली।
 - ट. सुश्री इन्द्रा जयसिंह कार्यपालक निदेशक, अधिवक्ता सामूहिक महिला अधिकार पहल, नई दिल्ली।
 - ख) अभिलेखों के सरंक्षण / परिरक्षण पर तकनीकी सलाह :
 - (i) प्रमुख, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, जलंधर
 - (ii) उप महाप्रबंधक (सीआरओ), टीहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लि. (टीएचडीसी), ऋषिकेश

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various Records Creating Agencies on the matters related to records management activities.

- 19.1 Technical Advice was provided by the National Archives of India, New Delhi to the following:
 - A) Reprographic services:
 - 1. Mr. Vinod Kumar Dhaaka, Indraprastha Gas Limited
 - 2. Sh. Rajiv Sharma Additional Director General (project), Dte. General Defence Estates, Delhi Cantonment.
 - 3. Punkaj Rag I.A.S. Commissioner Directorate of Archaeology, Archives and Museum Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
 - 4. Dr. D. Sonowal Director of Archives Assam, Opposite Ganesh Mandir, Guwahati.
 - 5. Sh. Muthukrishnan, Deputy Secretary, Raj Bhavan, Mumbai.
 - 6. Sh. Shiv Kumar Sharma, Director TD, 501 (S), Central Water Commission, Technical Documentation Directorate, New Delhi
 - 7. Shri S.G. Shah registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
 - 8. Dr. Mahendra Khadgawat (Director), Rajasthan States Archives, Bikaner.
 - 9. Dr. S. Srivastava, Nodal Officer, QCI, Department of Birth and Death, NDMC.
 - 10. Ms. Rubina Baig, Acting Director, UP States Archives, Lucknow, U.P.
 - 11. Prof. Mahesh Rangarajan, Director, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi
 - 12. Ms. Indra Jaising, Executive Director, Lawyers Collective Women's Rights Initiative, New Delhi
 - B) Technical Advice on Conservation / Preservation of records:
 - 1. Head, Central Potato Research Station, Jalandhar
 - 2. Deputy General Manager (CRO), Tehri Hydro Development Corporation India Ltd (THDC), Rishikesh

- (iii) अभिलेखागार निदेशक, कर्नाटक राज्य अभिलेखागार निदेशालय, बैंगलोर
- (iv) पुस्तकाल्याध्यक्ष, गोवा राज्य केन्द्रीय ग्रंथागार, गोवा
- (v) निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर राजस्थान
- (vi) प्रमुख-व्यवसाय विकास, सेमैक कंसलटैंट्स प्रा. लि., नई दिल्ली
- (vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय (कार्यकारी), मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
- (viii) डॉ. नीलम प्रसाद, संस्थान अभिलेखागार, आईआईटी, कानपुर
- ग) अभिलेख सर्जक एजेंसियों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित संस्थानों को अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए मौके पर मार्गदर्शन दिया गयाः
 - (i) रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), जन्म एवं मृत्यु इकाई, स्वास्थ्य विभाग, नई दिल्ली, नगरपालिका परिषद, नई दिल्ली
 - (ii) अपर महानिदेशक (परियोजनाएं), रक्षा संपदा महानिदेशालय, दिल्ली कैंट
 - (iii) अपर महानिदेशक (वास्तु.), सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
- घ) संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित संस्थानों को तकनीकी सूचना उपलब्ध कराई गई:
 - उप महाप्रबंधक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश, उत्तराखंड
 - ॥. निदेशक, महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, एल्फिनस्टोन कॉलेज बिल्डिंग मुम्बई।
 - III. निदेशक, कर्नाटक राज्य अमिलेखागार, विधान सौंध, बैंगलोर 560001
 - IV. संग्राहाध्यक्ष, रवीन्द्र भारती संग्रहालय, कोलकाता
 - V. संग्राहाध्यक्ष, कृष्णादास शमा गोवा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गोवा 403001
- 19.2 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल और अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर, पुड्डुचेरी तथा जयपुर में सलाहकारी कार्य किया गया
 - 1. भारतीय मानक ब्यूरो, भुवनेश्वर
 - 2. शमबागनुर जेसूट अभिलेखागार, तमिलनाडु
 - 3. खाद्य मंत्रालय, भोपाल
- 19.3 विश्लेषण राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों अर्थात् अभिलेख करना, सूचीकरण, समीक्षा करना, अभिलेखों को नष्ट करना, मूल्यांकन करना और अप्रचलित स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण

- 3. Director of Archives, Directrate of Karnataka State Archives, Bangalore
- 4. Librarian, Goa State Central Library, Goa.
- 5. Director, Rajasthan State Archives, Bikaner, Rajasthan.
- 6. Head Business Development, Semac Consultants PVT Ltd, New Delhi
- 7. University Librarian (Actng.), Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, Aligarh
- 8. Dr. Neelam Prashad, Institute Archives, IIT, Kanpur.
- C) Inspection of Records Creating Agencies and on the spot guidance for proper upkeep of records was provided to the following institutions:
 - Registrar (Birth and Death), Birth and Death Unit, Health Department, New Delhi Municipal Council, New Delhi
 - 2. Addl. Director General (Projects), Dte. General Defence Estate, Delhi Cantt
 - 3. Addl. Director General (Arch), CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi- 110011.
- D) Technical information to the following institutions were provided on various aspects of conservation:
 - 1. Deputy General Manager, THDC India Limited, Rishikesh, Uttarakhand.
 - 2. Director, Maharashtra State Archives, Elphinstone college Building, Mumbai.
 - 3. Director, Karnataka State Archives, Vidhan Soudha, Banglore 560001.
 - 4. Curator, Rabindra Bharti Museum, Kolkata.
 - 5. Curator, Krishnadas Shama Goa State Central Library Goa 403001.
- 19.2 Advisory Work undertaken in Regional Office, Bhopal and Records Centre, Bhubaneswar, Puducherry and Jaipur:
 - 1. Bureau of Indian Standard, Bhubaneswar
 - 2. Shembaganur Jesuit Archives, Tamil Nadu
 - 3. Ministry of Food, Bhopal
- 19.3 Analysis-National Archives of India is rendering advice to all Ministries/Departments/
 Offices/Public Sector Undertakings etc. on matters related to records management activities i.e. recording, indexing, reviewing, weeding of records, appraisal and transfer of non-current permanent nature records and microfilming of 'A' category records etc.

करना तथा 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनना, आदि से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दे रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक / दो दिन की कार्यशालाएं / संगोष्ठियों / स्लाइड शो / पहेली, आदि के जिरए अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सभी सर्जन एजेंसियों के विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में रुचि / जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अभिलेख सर्जक एजेंसियों को भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के समर्थन से कार्यशालाओं / संगोष्ठियों के जिरए अपने संगठन में अपने अभिलेखों के संरक्षण का प्रबंधन करने के बारे में जागरुकता पैदा करने के प्रयास करने चाहिए।

Efforts are required on the part of National Archives of India to develop interest/awareness amongst the officers/officials working in the Departmental Records Rooms of all Records Creating Agencies in respect of various issues of records management through one/ two day(s) workshops/ seminars/ slideshows/ quizzes etc. Records Creating Agencies should also make efforts to create awareness on management conservation of their records in their organization through Workshops/ Seminars with the support of National Archives of India.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अभिलेखागार प्रबंधन, रेप्रोग्राफी, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों की सर्विसिंग और मरम्मत, पुस्तकों की देखभाल और संरक्षण, एमएसएस तथा उप—व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखागारों में अल्पकालिक प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सिववों की सिमिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितंबर 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से अभी तक 103 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष 2012 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की एक सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक—IV में देखी जा सकती है।

अभिलेख अध्ययन विद्यालय में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा :

- 20.1 शैक्षणिक वर्ष 2012—2013 के लिए अभिलेखागर तथा अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 26 छात्र थे, जिनमें सात प्रायोजित छात्र थे। बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार श्रीलंका से दो उम्मीदवारों तथा पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार निदेशालय, राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली, असम राज्य अभिलेखागार, असम; सेंट सूजी पब्लिक स्कूल, कोंडली, दिल्ली तथा सिटी मांटसेरी स्कूल, लखनऊ से एक—एक उम्मीदवार को शामिल किया गया।
- 20.2 वर्ष के दौरान आयोजित रेप्रोग्राफी में दो अल्पाविध पाठ्यक्रमों में 25 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से 8 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, हैदराबाद, नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली, सीजीएचएस, नई दिल्ली, राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली, रिजस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली तथा श्री वेंक्टेश्वर विश्वविद्यालय, उ.प्र. द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- 20.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पाविध पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 36 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 13 प्रायोजित छात्र थे। प्रायोजित छात्र रक्षा कार्यकारी अधिकारी, धनपुर कैंट, पटना, बिहार, रक्षा कार्यकारी अधिकारी बैंगलोर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शिलांग कैंट, मेघालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रामगढ़ कैंट, झारखंड, रक्षा संपदा अधिकारी, जयपुर मण्डल, राजस्थान, छावनी बोर्ड, बिबना कैंट, छावनी बोर्ड, झांसी, छावनी बोर्ड, रांची, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मथुरा कैंट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पंजाब राज्य अभिलेखागार, पटियाला, धर्म और संस्कृति विभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से थे।

CHAPTER-20

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and sub-professional levels. These comprise of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Archives Management, Reprography, Records Management, Servicing and Repairing of Records, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives at sub-professional level. Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started five days Orientation Courses in Records Management for designated Departmental Record Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 103 courses after its introduction in September 1998. A list of Departmental Record officers who have attended the orientation courses in records management during the year 2012 may please be seen in *Annexure-IV* of the report.

Details of Training Programmes undertaken in School of Archival Studies:

- 20.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2012-2013 had a batch of 26 students including seven sponsored candidates. The latter included two candidates from National Archives of Sri Lanka and one each from Directorate of State Archives of West Bengal, Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi, Assam State Archives, Assam, St. Suji Public School, Kondli, Delhi and City Montessori School, Lucknow.
- 20.2 Two Short Term Courses in Reprography conducted during the year were attended by 25 candidates. Out of these, 8 candidates were sponsored by National Institute of Indian Medical Heritage, Ministry of Health and Family Welfare, Hyderabad, Nehru Memorial Museam and Library, New Delhi, CGHS, New Delhi, Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi, Regitrar General and Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, New Delhi and Shri Vankateshwara University, U.P.
- 20.3 Two Short Term Courses in Records Management were conducted which were attended by 36 candidates including 13 sponsored candidates. Sponsored candidates were from Defence Executive Officer, Danapur Cantt., Patna, Bihar, The Defence Executive officer Banglore, Chief Executive officer, Shillong Cantt., Meghalaya, Chief Executive officer, Ramgarh Cantt., Jharkhand, the Defence Officer, Shillong Cantt., Meghalaya, Chief Executive officer, Ramgarh Cantt., Cantonment Board, Jhansi, Estate Officer, Jaipur Circle, Rajasthan, Cantonment Board, Babina Cantt., National Archives of India, New Cantonment Board Ranchi, Chief Executive officer, Mathura Cantt., National Archives of India, New Delhi, Punjab State Archives Patiala, Department of Religion and Culture, Dharamshala, H.P.

- 20.4 इस अवधि के दौरान आयोजित अभिलेखों की देखभाल और मरम्मत संबंधी दो अल्पाविध पाठ्यक्रमों में 45 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 18 उम्मीदवार निम्निलिखत कार्यालयों द्वारा प्रयोजित थे: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रामगढ़ कैंट बोर्ड, झारखंड; बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, वेलिंगटन; रक्षा संपदा अधिकारी, कश्मीर मण्डल, श्रीनगर; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी बोर्ड, आगरा; रक्षा संपदा अधिकारी, महाओ कैंट; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैंट बोर्ड, झांसी; रक्षा संपदा अधिकारी, बरेली कैंट; बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना; रक्षा संपदा अधिकारी, कर्नाटक मण्डल, बैंगलोर; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैंट नसीराबाद, राजस्थान और अधिवक्ता एवं परामर्शदाता तीस हजारी न्यायालय।
- 20.5 पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल एवं संरक्षण में दो अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 15 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें दो उम्मीदवार अभिलेखागार निदेशालय, पुरातत्व और संग्रहालय, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर तथा तीमारपुर, दिल्ली में एक एजेंसी से थे।
- 20.6 इस अवधि के दौरान अभिलेख प्रबंधन में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, बिहार राज्य अभिलेखागार तथा राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा तीन उम्मीदवारों सहित 13 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- 20.7 वर्ष के दौरान अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का ब्यौराः
 - (i) अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली में स्टॉफ सदस्यों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला।
 - (ii) अंतरिक्ष विभाग के स्टॉफ सदस्यों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 38 भागीदारों ने भाग लिया।
 - (iii) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा में अभिलेख प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - (iv) पावर ग्रिंड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉफ सदस्यों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 40 स्टॉफ सदस्यों ने भाग लिया।
 - (v) राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, भूटान, थिंपु के सहयोग से 10–14 जनवरी, 2012 को पनाखा, दर्जोंग, पनाखा जिला, भूटान में पनाखा जिला (दर्जोंगखाग) के अंतर्गत विभिन्न मठों के अभिरक्षकों के लिए 'अभिलेखों के परिरक्षण और संरक्षण' में पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - (vi) कृष्णादास शामा गोवा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गोवा में 'पुस्तकालय पुस्तक परिरक्षण' में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - (vii) राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के नए पदोन्नत दुरस्तकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

- 20.4 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records conducted during the period were attended by 45 candidates including 18 sponsored by the following offices: Chief Executive Officer, Ramgarh Cantt. Board, Jharkhand; Bihar State Archives, Patna; Chief Executive Officer, Cantonment Board, Wellington; Defence Estate Officer, Kashmir Circle, Srinagar; Chief Executive officer Cantonment Board, Agra; Defence Estate Officer, Mhow Cantt.; Chief Executive Officer Cantt. Board, Jhansi; Defence Estate Officer, Bareilly Cantt.; Bihar State Acrchives, Patna; Defence Estates Officer, Karnataka Circle, Bangalore; Chief Executive Officer, Ahmednagar Cantt.; Chife Executive Officer, Cantt. Nasirabad, Rajasthan and Advocates & Consultants, Tis Hazari Courts
- 20.5 Two Short Term Courses Care in Conservation of books, manuscripts and archives were conducted which were attended by 15 candidates including two candidates sponsored by Directorate of Archives, Archaeology and Museum, Srinagar, Jammu & Kashmir and an agency in Timarpur, Delhi.
- 20.6 One Short Term Course in Archives Management conducted during the period was attended by 13 candidates including three sponsored by the National Archives of India, Bihar State Archives and Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi.
- 20.7 Details of seminars and workshops organized by the School of Archival Studies during the year:
 - One day workshop on Record Management for the staff members at Department of Space, Loka Nayak Bhawan, New Delhi
 - Conducted one day workshop on Record Management for the staff members of Department of Space which was attended by 38 participants.
 - 3. Two days' workshop on Record Management at Power Grid Corporation of India Limited Gurgaon, Haryana
 - 4. Conducted two days' workshop on Record Management for the staff members of Power Grid Corporation of India which was attended by 40 staff members.
 - 5. Conducted five days' workshop in 'Preservation and Conservation of Records' for the caretakers of various monasteries under Punakha District (Dzongkhag) at Punakha Dzong, Punakha District, Bhutan in Collaboration with National Library and Archives of Bhutan, Thimpu from 10 14 January 2012.
 - 6. Conducted three days' workshop in 'Library book Preservation' at Krishnadas Shama Goa State Central Library, Goa.
 - 7. Conducted five day training for the newly promoted menders of NAI, Regional Office, Bhopal.

20.8 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख केन्द्रों में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षणः

क्रम सं.	स्थान	पाठ्यक्रम की अवधि	भागीदारों की संख्या	अभ्युक्तियां
1.	अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर	16—20 जनवरी, 2012	21	107वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	27—31 अगस्त, 2012	24	104वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
3.	अभिलेख केन्द्र, पुडुचेरी	8—12 अक्तूबर, 2012	24	108वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
4.	अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर	3-7 दिसम्बर, 2012	17	109वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

अभिलेख केन्द्र, पुड्डुचेरी ने अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जारी रखा जिसमें (100 सेवाकालीन अध्यापकों (प्रत्येक 50 के दो बैच) को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, पांडिचेरी सरकार में नवम्बर और दिसम्बर, 2012 में प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों, परिरक्षण तकनीकों तथा अपनी अभिरक्षा में धारित प्रमुख अभिलेखों पर व्याख्यान दिया गया।

20.8 Orientation Courses / Trainings organized in Regional Office, Bhopal and Records Centres of National Archives of India:

S.No.	Venue	Duration of course	No. of participants	Remarks
1	Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar	16- 20 January 2012	21	107th Orientation Course
2	Regional Office, Bhopal	27-31 August 2012	24	104 th Orientation Course
3	Record Centre, Puducherry	8-12 October 2012	24	108 th Orientation Course
4	Records Centre (West Zone), Jaipur	3- 7 December, 2012	17	109 th Orientation Course

Records Centre, Puducherry continued with the archival awareness programme by attending to 100 in-service Teachers (in two batches of 50 each) undergoing training at the State Training Centre, Government of Pondicherry in November and December 2012. They were given lecture on the Record Management practices, preservation techniques and also major archival holdings in its custody.

अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संबंधित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं और अन्य कार्यकलाप भी किए गए।

21.1 प्रदर्शनियांः

- i. ईरान कलचरल हाउस, नई दिल्ली के सहयोग से 23 फरवरी 23 मार्च, 2012 को खुशनवीसी तथा पवित्र कुरान नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।
- ii. 9 जून, 2012 को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ में राष्ट्रीय अभिलेखागार से शानदार दस्तावेज नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- iii. 9वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर महात्मा गांधीः दक्षिण अफ्रिका का एक सत्याग्रही तथा हिन्दी विषय पर एक प्रदर्शन 22-24 सितम्बर, 2012 को जोहन्नसबर्ग में आयोजित की गई।
- iv. आईओआर—एआरसी देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागारों के प्रमुखों की 25—26 सितंबर, 2012 को हुई एक बैठक के अवसर पर आईओआर—एआरसी देशों की प्रलेखन विरासत नामक एक प्रदर्शनी लगाई गई।
- v. गांधी जयंती के अवसर पर 2-11 अक्तूबर, 2012 को गांधीजी और शांति के दूत नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर महात्मा गांधीः दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रही तथा हिन्दी नामक एक प्रदर्शनी का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
- vi. वियाजो इन इंडिया ट्रेवल टू इंडिया नामक एक प्रदर्शनी का राष्ट्रीय अभिलेखागार में 17—31 अक्तूबर, 2012 को इतालवी संस्कृति केन्द्र के सहयोग से आयोजन किया गया।
- vii. बाल दिवस के अवसर पर नेहरुः जेल में नामक प्रदर्शनी का 14 नवम्बर 14 दिसम्बर, 2012 तक आयोजन किया गया।
- viii. भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के बीच सभ्यता संबंध नामक एक प्रदर्शनी का 20–21 दिसम्बर, 2012 को एशियाई देशों के बैठक के अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से आयोजन किया गया।

21.2 प्रदर्शनियांः

- i. 23 जुलाई, 2012 को माननीय संस्कृति मंत्री के दौरे के दौरान विभाग के खुले मैदान में अभिलेख विरासत और उनकी परिरक्षण तकनीकों के महत्व के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए पोस्टर स्थायी रूप से प्रदर्शित किए गए।
 - ii. अगस्त, 2012 माह के दौरान भारतीय संविधान में नंदलाल बोस की चित्रकलाओं के आधार पर कला कार्य को शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में एनेक्सी के प्रकोष्ठ में स्थापित किया गया।

ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

21.1 Exhibitions:

- The exhibition entitled calligraphy and the Holy Quran was organized in collaboration with the Iran Culture House, New Delhi from 23 February-23 March 2012.
- 2. The exhibition entitled Fascinating Documents from National Archives of India was organized at U.P. State Archives, Lucknow on the occasion of International Archives Day on 9 June 2012.
- 3. On the Occasion of 9th World Hindi conference an exhibition entitled Mahatma Gandhi: A Satyagrahi of South Africa and Hindi was organized at Johannesburg from 22-24 September 2012.
- 4. An exhibition entitled Documentary Heritage of IOR-ARC Countries was organized on the occasion of the meeting of the Heads of National Archives of IOR-ARC Countries from 25-26 September 2012.
- A display entitled Gandhiji and Textiles of Peace was organized on the occasion of Gandhi Jayanti from 2-11 October 2012. The exhibition entitled Mahatma Gandhi: A Satyagrahi of South Africa and Hindi was also displayed at National Archives of India, New Delhi on his occasion.
- 6. An exhibition entitled Viaggio in India-Travel to India was organized in collaboration with Italian Culture Center from 17-31October 2012 in the National Archives Museum.
- The exhibition entitled The Nehrus: In Jail was organized on the occasion of Children's Day from 14 November-14 December 2012.
- 8. An exhibition Civilization Link between India and Southeast Asian Nations was organized in collaboration with Indian Council for Cultural Relations onf the occasion of the meeting of the ASEAN Counties from 20-21 December 2012.

21.2 Displays:

1. A display of posters inculcating the awareness about the importance of archives heritage and their preservation techniques was permanently displayed in the open lawn of the department during the visit of Hon'ble Ministry of Culture, on 23 July 2012.

iii. बियोंड द फ्रेमः इंडिया इन ब्रिटेन 1858—1950 नामक प्रदर्शनी के सेट सभी अभिलेख केन्द्रों और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए। ब्रिटिश पुस्तकालय, लंदन के साथ हुए समझौता—ज्ञापन के अनुसार यह इच्छा व्यक्त की गई कि उक्त प्रदर्शनी सितम्बर, 2012 से पहले लगाई जाए।

21.3 क्षेत्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख केन्द्रों में अभिलेखीय जागरुकता कार्यक्रम

- ।. प्रदर्शनियांः
 - क) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
 - i. "1857 के विद्रोह में भोपाल की भूमिका" (18 से 31 मई, 2012)
 - ii. ''बियोण्ड द फ्रेम, इंडिया इन ब्रिटेन 1858-1950'' (14-22 अगस्त, 2012)।
 - ख) अभिलेख केन्द्र, पुड्डुचेरी
 - i. "बियोण्ड द फ्रेम: इंडिया इन ब्रिटेन 1857-1950" (14-20 सितम्बर, 2012)
 - ii. आउरोविले, पुड्डुचेरी में आडरोविले अभिलेखागार के सहयोग से भारतीय संघ में फ्रांससी स्थापनाओं का स्थानांतरण'' (17–18 नवम्बर, 2012)।
 - ग) अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर

'बियोण्ड द फ्रेमः इंडिया इन ब्रिटेन 1858-1950

(27 अगस्त से 01 सितम्बर, 2012); आगंतुकों में ओडिशा सरकार के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री माहेश्वर मोहंती भी शामिल थे।

अतिरिक्त जानकारीः

अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण तथा इनकी अभिरक्षा में अन्य धारिता राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। ऊपरी अभिरक्षा में लोक अभिलेखों, पुस्तकों और पाण्डुलिपियों के संरक्षण / पिरक्षिण से संबंधित कार्य की पहचान करना महत्वपूर्ण विषय है तथा 2010 में शुरू की गई दो पिरयोजनाओं को वर्ष 2012 के दौरान भी जारी रखा गया। इन दो पिरयोजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार है:

- 1. राष्ट्रीय अभिलेखागार के संरक्षण और परिरक्षण की परियोजना (पीआर 1 अनुभाग):
 - क) मरम्मत और लेमिनेशन 2317079 शीटें
 - ख) सिलाई और जिल्द चढ़ाई गई 1153 खण्ड
- 2. पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों की मरम्मत की गई और जिल्द चढ़ाई गई, एनएआई (पीआर-॥ खण्ड) :-
 - क) मरम्मत और लेमिनेशन 232190 शीटें
 - ख) सिलाई और जिल्द चढ़ाई गई 1107 पुस्तकें

- During the month of August 2012 the Art work based on the paintings of Nandlal Bose in the Constitution of India was installed in foyer of Annexe under the supervision of Craft Museum, New Delhi
- The sets of exhibition entitled Beyond the Frame: India in Britain 1858-1950 was sent to all Record Centers and Regional office. It was desired as per MOU with the British Library, London that the said exhibition would be mounted before September 2012

21.3 Archival Awareness Programmes in Regional Office and Records Centres of the National Archives of India

I Exhibitions:

- a) Regional Office, Bhopal
 - 1. "Role of Bhopal in the Revolt of 1857" (18 to 31 May 2012)
 - 2. "Beyond the Frame, India in Britain 1858-1950" (14-22 August 2012)
- b) Records centre, Puducherry
 - 1. "Beyond the Frame: India in Britain 1857-1950" (14-20 September 2012)
 - 2. 'De jure transfer of the French Establishments to the Union of India' in collaboration with Auroville Archives at Auroville, Puducherry (17-18 November 2012).
- c) Records Centre, Bhubaneswar

"Beyond the Frame: India in Britain 1858-1950

(27 August to 01 September 2012); Shri Maheswar Mohanty, hon'ble Minister of Tourism & Culture Government of Odisha, Bhubaneswar was one of the visitors.

Additional Information:

Care and conservation of records and other holdings in its custody is one of the primary responsibilities of the National Archives of India. The work related to conservation/ preservation of public records, books and manuscripts in its custody was identified to be matter of critical concern and two projects started in 2010 continued during the year 2012. The progress of these two projects are as under:

- 1. Project of Conservation and Preservation of Public Records of NAI (PR-I Section):-
 - 1. Repair and Laminated 2317079 sheets
 - 2. Stitched and Bound 1153 volumes.
- 2. Project of Repair and Binding of Rare Books of Library, NAI (PR-II Section):-
 - 1. Repair and Laminated 232190 sheets
 - 2. Stitched and Bound 1107 Books.

क. मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों की सूची जिन्होंने महानिदेशक की 15वीं रिपोर्ट के लिए सूचना भेजी है:

Bill,

गृह मंत्रालय

- 1. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय
- 2. अंतर राज्यीय परिषद

सूचना और प्रसारण मंत्रालयः

1. बाल फिल्म सोसायटी, मुंबई

खान मंत्रालय

- 1. भारतीय खान ब्यूरो
- 2. जवाहर लाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

- 1. प्रशासनिक सुधार विभाग
- 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- 3. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान
- 4. राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी

जल संसाधन मंत्रालय

- 1. केन्द्रीय जल आयोग
- 2. नर्मदा सलाहकार समिति
- 3. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

परमाणु ऊर्जा विभाग उपराष्ट्रपति सचिवालय

ब. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिन्होंने 15वीं महानिदेशक रिपोर्ट के लिए सूचना भेजी है:

Annexure I

A. List of Ministries/ Departments/ Offices that have provided information for the XV DG Report:

Ministry of Home Affairs

- 1. Directorate General of Central Reserve Police Force
- 2. Inter State Council

Ministry of Information & Broadcasting:

1. Children's Film Society, Mumbai

Ministry of Mines

- 1. Indian Bureau of Mines
- 2. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre, Nagpur

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

- 1. Department of Administrative Reforms
- 2. Department of Personnel & Training
- 3. Institute of Secretariat Training & Management
- 4. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration

Ministry of Water Resources

- 1. Central Water Commission
- 2. Narmada Advisory Committee
- 3. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee

Department of Atomic Energy

Vice President's Secretariat

List of Public Sector Undertakings that have provided information for the XV DG Report:

कृषि मंत्रालय

- 1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
- 2. नेशनल फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 3. स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

- 1. प्रोजक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा
- 2. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय

1. मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई

खान मंत्रालय

1. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

विद्युत मंत्रालय

- 1. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद
- 2. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएसडीसीआईएल), ऋषिकेश
- 3. सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), न्यू शिमला

जहाजरानी मंत्रालय

1. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम

वस्त्र मंत्रालय

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ

Ministry of Agriculture

- 1. National Seeds Corporation Limited
- 2. National Farm corporation of India Limited
- 3. State Farms Corporation of India Limited, New Delhi

Ministry of Chemicals & Fertilizers

- 1. Projects and Development India Limited, Noida
- 2. Hindustan Antibiotics Limited, Pune

Ministry of Commerce & Industry

1. State Trading Corporation of India Limited, New Delhi

Ministry of Defence

1. Mazagon Dock Limited, Mumbai

Ministry of Mines

1. National Aluminium company Limited (NALCO), Bhubaneswar

Ministry of Petroleum & Natural Gas

1. Numaligarh Refineries Limited

Ministry of Power

- 1. National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited, Faridabad
- 2. Tehri Hydro Development Corporation India Limited (THDCIL), Rishikesh
- 3. Sutlej Jal Vidyut Nigam Limited (SJVN), New Shimla

Ministry of Shipping

1. Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam

Ministry of Textiles

1. National Handloom Development Corporation, Lucknow

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियम)

क्र.सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
क.	कृषि मंत्रालयः	
	1. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशालाः	Mini 10 y of Comm
	2. रक्षा मंत्रालयः	02
ख.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम:	
	3. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	02
	4. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)	estile to 02 ale
	 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) 	01 Minister of Percel
	6. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	02
	(खान मंत्रालय)	
	7. वैपकोस (जल संसाधने मंत्रालय)	01

Annexure II

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records (Form 7, Public Records Rules)

.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
A.	Ministry of Agriculture:	- TOPHER PRO
	1. Central Agmark Laboratory	01
	2. Ministry of Defence:	02
В.	Public Sector Undertakings/ Corporations:	
	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas)	02
	2. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Ministry of Power)	02
	3. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
	4. Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines)	02
	5. WAPCOS (Ministry of Water Resources)	01

अनुलग्नक- ॥

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 4, लोक अभिलेख नियम)

क्र.सं. अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम प्राप	त छमाही विवरणियों की संख्या
कृषि मंत्रालयः 1. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला	01
नागरिक विमानन मंत्रालय 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी	L. Chem 10 Peroleman (Ministry of Peroleman)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 1. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन)	02
 टैरिफ आयोग केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर 	01 02
4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग रक्षा मंत्रालयः	02 02
वित्त मंत्रालयः 1. नमक आयुक्त कार्यालय	01
गृह मंत्रालय	01
 महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल अंतर राज्यीय परिषद 	01
श्रम एवं रोजगार मंत्रालयः 1. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (सेंट्रल), कोच्चि	02

ANNEXURE III

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Downgrading of classified files (Form 4, Public Records Rules)

.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture: 1. Central Agmark Laboratory,	01
	Ministry of Civil Aviation 1. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Amethi	01
	Ministry of Commerce & Industry 1. Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur	02
	(under Department of Industrial Policy & Promotion 2. Tariff Commission	01
	3. Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur	02
	4. Department of Industrial Policy & Promotion	02
	Ministry of Defence:	02
	Ministry of Finance: 1. Office of the Salt Commissioner	01
	Ministry of Home Affairs	
	1. Directorate General Border Security Force	01
	2. Inter State Council	01
	Ministry of Labour & Employment:	
	1. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), K	Kochi 02

खान मंत्रालयः	
1. राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर	01
2. अल्युमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र	ह, नागपुर 01
Records Rules)	4, Public
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयः	
1. राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, म	सूरी
2. जल संसाधन मंत्रालयः	01
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	01
	Minlany of Civil Aviation
towns and	L. India Cambri Raduma (Co. Acad
	Ministry of Commerce & Indoley
Sur Control of the Co	L. Petroleum and Explosives Safety
The same and the s	(under Department of Industrial Police 2 Tariff Commission
the steam	
Force	
To the second second second second	

1. Ivational institute of infinets freeding trusper	01 01
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions: 1. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie 2. Ministry of Water Resources: 3. Ministry of Women & Child Development	01 01 01
कड़िला प्रकार कोड़ कोड़ होंगा करेंगा है। अपने कार्य कार्य स्टील कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य	
DGM (20) SIST BY THE TOTAL OF THE PARTY OF T	
Marager (Gen) Company of Class Anna 2	
THE RESERVE WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY O	
The same Bayes are the same and	
्राव्या का कार्याती कार्यात विश्वास कार्याती । होत्यात विश्वास	

वर्ष 2012 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम

क. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर में दिनांक 16 से 20 जनवरी, 2012 तक आयोजित 104वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्र.सं.	नाम व पदनाम	प्रायोजित संस्थान का ब्यौरा
1.	श्री के.सी. बेहरा, सहायक	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, 18, सत्यनगर, भुवनेश्वर—751 007 उड़ीसा
2.	सुश्री बी मिश्रा, उप महाप्रबंधक (पी 1—ओडी)	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला (उड़ीसा)
3.	श्री जे.एन. मोहंती, डीजीएम (पीआई)	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला (उड़ीसा)
4.	श्री अरविन्द प्रसाद प्रबंधक (सामान्य)	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल महावीर टॉवर, मेन रोड रांची.
5.	श्री पीतांबर परिदा, अनुभाग अधिकारी	सहायक आसूचना ब्यूरो, (गृह मंत्रालय), भुवनेश्वर
6.	डॉ इशिता घोष, विभागीय अभिलेख अधिकारी एवं सहायक. सेरोलोजिस्ट एवं सीई	सीरम विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, १ केवाईडी स्ट्रीट, २ कोलकाता ७०० ०१६.
7.	श्री मिलन कांति बरुआ, ओएस	जनगणना संचालन निदेशक का कार्यालय, लैतुमखराह, शिलांग—793003 मेघालय

ANNEXURE-IV

NAME OF RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION COURSES ON RECORDS MANAGEMENT IN 2012

A. 104th Orientation Course in Records Management from 16th to 20th January, 2012 held at National Archives of India, Record Centre Bhubaneswar.

S.No.	Name & Designation	Details of the Sponsoring Institution
1.	Shri K.C. Behera, Assistant	Central Silk Board, 18, Satyanagar, Bhubaneswar-751 007 Orissa
2.	Ms. B. Misra, DGM (P1-OD)	Steel Authority of India Ltd. Rourkela Steel Plant, Rourkela (Orissa)
3.	Shri J.N. Mohanty, DGM (PI)	Steel Authority of India Ltd. Rourkela Steel Plant, Rourkela (Orissa)
4.	Shri Arbind Prasad, Manager (Gen.)	Food Corporation of India, Regional Office, 9th Floor Mahabir Tower, Main Road Ranchi.
5.	Shri Pitambar Parida, Section Officer	Subsidiary Intelligence Bureau, (Ministry of Home Affairs) Bhubaneswar
6.	Dr. Ishita Ghose, Departmental Record Officer & Asstt. Serologist & CE	Institute of Serology, Ministry of Health & Family Welfare, 3 KYD Street, Kolkata-700 016.
7.	Shri Milan Kanti Barua, OS	Office of the Director of Census Operations, Laitumkhrah, Shillong-793003 Meghalaya

8.	श्रीमती ए.एम. साईमलिच, ओएस, डीसीओ, धनखेती, शिलांग, मेघालय	विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ), रिजस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110 066
9.	श्रीमती. तृप्ति कनानगो, हिन्दी विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ),	रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066
10.	श्री सांजीब्राओ भट्टाचार्य, ओएस, त्रिपुरा	जनगणना संचालन, त्रिपुरा निदेशालय, 210/डी, कार्यालय लेन, अगरतला, त्रिपुरा
11.	श्री पी.सी. माविया, ओएस, डीसीओ चानमारी, आइजोल, मिजोरम	विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ), रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110 066
12.	श्री लीनुस अंगामी, ओएस, डीसीओ, नागालैंड, बायावू हिल, नागालैंड, विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ),	रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110 066
13.	श्री देब बर्मा, ओएस, डीसीओ, 20 / बी, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ), रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110 066
14.	श्री सुनील कुमार पात्रा ओ.एस., जनगण भवन, पश्चिम बंगाल.	विभाग अभिलेख अधिकारी (डीआरओ), रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110 066
15.	श्री समीर कुमार दास, प्रबंधक (जी)	भारतीय खाद्य निगम, महाप्रबंधक का कार्यालय (क्षेत्र), पश्चिम बंगाल क्षेत्र और रोयड स्ट्रीट, कोलकाता—16
16.	श्री टी.आर. कन्नन, उप निदेशक, खान सुरक्षा (सोमा), मुख्यालय, धनबाद	खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, धनबाद

8.	Smt. A.M. Syiemlich, OS, DCO, Dhankheti, Shillong Meghalaya.	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
9.	Smt. Tripti Kanango, Hindi	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
10.	Shri Sanjibrao Bhattacharjee, OS, Tripura	Directorate of Census Operations, Tripura, 210/D, Office Lane, Agartala, Tripura
11.	Shri P.C. Mawia, OS, DCO Chanmari, Aizawal. Mizoram.	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
12.	Shri Linus Angami, OS, DCO, Nagaland, Bayavu Hill, Nagaland,	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
13.	Shri Deb Barma, OS, DCO, 20/B, Abdul Hamid Street, Kolkata, WB.	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
14.	Shri Sunil Kumar Patra O.S., Janagana Bhawan, West Bengal.	Department Record Office r (DRO), Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066.
15.	Shri Samir Kumar Das, Manager (G)	Food Corporation of India, Office of the General Manager (Region) West Bengal Region & Royd Street, Kolkata-16
16.	Shri T.R. Kannan, Dy. Director of Mines Safety (SOMA), HQ, Dhanbad	Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour & Employment, Dhanbad

17.	श्री उमेश चौधरी, कार्यालय अधीक्षक	रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय गृह मंत्रालय, भाषा प्रभाग, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, 2 एम.एस.ओ. भवन, 17 वीं मंजिल, निजाम पैलेस, कोलकाता –700 020
18.	श्री साजीलाल एस. सांख्यिकीय अन्वेशक, ग्रेड—॥	जनगणना संचालन निदेशालय, असम जी.एस. रोड, उलुबारी, गुवाहाटी–781007
19.	सुश्री अंजलि प्रधान, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (समूह–बी)	क्षेत्रीय निदेशक आरसीएमए (केपीटी:), डीआरडीओ, सुनाबेडा—763 002 (उड़ीसा)
20.	श्री एस.के. रॉय, हिंदी अधिकारी	रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), प्रूफ एवं प्रयोगात्मक स्थापना (पीएक्सई), चांदीपुर, बालासोर—756 025 (उड़ीसा)
21.	श्री अभिमन्यु लेंका, कल्याण प्रशासक	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कल्याण उपकर आयुक्त का कार्यालय, ''केन्द्रीय शर्मा कल्याण सदन'', आई.आर.सी. ग्राम, प्लॉट नं.एन.७ / 6 और ७ (हेबिंद इस्कोन मंदिर), नयापल्ली–७५१०१५ (भुवनेश्वर)
22.	मिस जयश्री पांडा, पुस्तकालय सूचना सहायक	प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, ऑल इंडिया रेडियोः कटक — 753 001 (उड़ीसा)
23.	श्री रॉयल लेप्चा, एसआई—ग्रेड –2 निदेशक, जनगणना संचालन,	सिक्किम निदेशालय, डीसीओ सिक्किम, सेना काफिला ग्राउंड के पास, टाडोंग पी.ओ. गंगटोक—737102
24.	श्री सुब्रत मोइत्रा, एओ	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, निजाम पैलेस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता—700020

17.	Shri Umesh Chaudhary, Office Superintendent	Office of the Registrar General, India Ministry of Home Affairs, Language Division, 234/4, A.J.C. Bose Road, 2 nd M.S.O. Building, 17 th Floor, Nizam Palace, Kolkata-700 020
18.	Shri Sajilal S. Statistical Investigator, Grade-II	Directorate of Census Operations, Assam G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781007
19.	Ms. Anjali Padhan, Senior Technical Assistant (Group-B)	Regional Director RCMA (Kpt.), DRDO, Sunabeda-763 002 (Orissa)
20.	Shri S.K. Roy, Hindi Officer	Ministry of Defence, Defence R & D Organisation (DRDO), Proof & Experimental Establishment (PXE), Chandipur, Balasore-756 025 (Orissa)
21.	Shri Abhimanyu Lenka, Welfare Administrator	Ministry of Labour & employment, Office of the Welfare Cess Commissioner, "Kendriya Shrama Kalyan Sadan", I.R.C. Village, Plot No.N.7/6 & 7 (Hebind ISKCOM Temple), Nayapalli-751015 (Bhubaneswar)
22.	Miss Jayashree Panda, Library Information Assistant	Prasar Bharati, Broadcasting Corporation of India, All India Radio: Cuttack – 753 001 (Orissa)
23.	Shri Royal Lepcha, SI-Grade-2	Director Directorate of Census Operations, Sikkim, DCO Sikkim, Near Army Convoy Ground, Tadong P.O. Gantok-737102
24.	Shri Subrata Moitra,	Directorate General of Supplies and Disposals, Directorate of Quality Assurance, Nizam Palace, Ministry of Commerce & Industry, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020

25.	श्री एन.डी. पाटिल, प्रकाशन सहायक, निदेशक	अभिलेखागार निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार 156, एल्फिस्टन कॉलेज भवन, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई 32
26.	श्री सरोज कुमार त्रिपाठी, सुरक्षा प्रभारी	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषधि विकास अनुसंधान संस्थान आयुष विभाग, (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), यूनिट –1, भुवनेश्वर–751009.

ख. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 11 से 15 जून, 2012 तक आयोजित 105वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

27.	श्री भगवती प्रसाद सिंह उप प्रबंधक	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश
28.	श्री एच.के. द्विवेदी, सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	एनएचपीसी लिमिटेड, चंडीगढ़
29.	श्री अश्विनी कुमार साहू उप प्रबंधक (मानव संसाधन)	एनएचपीसी लिमिटेड, चंबा
30.	श्री देविंदर काउंडेल सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन)	एनएचपीसी लिमिटेड, कुल्लू
31.	सुश्री मधुमती जामवाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू
32.	श्री एन.पी. आनंद अपर महाप्रबंधक (सुरक्षा)	एनबीसीसी, नई दिल्ली
33.	श्री पी कन्नालागन उप प्रबंधक (प्रशासन)	इरेडा लिमिटेड, नई दिल्ली
34.	श्री सुबन्धु बसु डेस्क अधिकारी	रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), नई दिल्ली
35.	श्री आल्हा सिंह वरिष्ठ प्रबंधक	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश

25.	Shri N.D. Patil, Publication Assistant,	Director Directorate of Archives, Government of Maharashtra, 156, Elphinstone College Building, M.G. Road, Fort, Mumbai-32.
26.	Shri Saroj Kumar Tripathy, Security Incharge	National Research Institute of Ayurvedic Drug Development Department of AYUSH, (Ministry of Health and Family Welfare), Unit -1, Bhubaneswar-751009.

B. 105th Orientation Course in Records Management from 11th to 15th June, 2012 held at National Archives of India, New Delhi.

		TAINING DARK ANDER	
27.	Shri Bhagwati Prasad Singh Deputy Manager	THDC India Ltd,Rishikesh	0.0
28.	Shri H.K. Dwiedi Asst.Manager (Admn)	NHPC Ltd,Chandigarh	
29.	Shri Ashwini Kumar Sahu Deputy Manager(HR)	NHPC Ltd,Chamba	
30.	Shri Davinder Koundel Assistant Manager(HR),	NHPC Ltd,Kulu	
31.	Ms. Madhumati Jamwal Assistant Administrative Officer	NHPC Ltd,Jammu	63
32.	Shri N.P.Anand Additional General Manager(SAFETY)	NBCC, New Delhi	
33.	Shri P. Kannalagan Deputy Manager (ADMN.)	IREDA Ltd, New Delhi	
34.	Shri Subandhu Basu Desk Officer	Ministry of Defence (Sectt.), New Delhi	4
35.	Shri Alha Singh Senior Manager	THDC India Ltd, Rishikesh	

36.	श्री रमेश देव सहायक निदेशक (तकनीकी)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
37.	श्री डी.एस.मिश्र उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट)	एचपीएल, नई दिल्ली, नई दिल्ली
38.	श्री प्रदीप कुमार नेगी इंजीनियर	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश

ग. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 तक आयोजित 106वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

	and was build to the live of the contract of	Colored Colore
39.	श्रीमती बंदिता स्वेन सहायक प्रबंधक (प्रलेखन)	नाल्को, उड़ीसा
40.	श्री बी.आर.मेहता अभिलेख अधिकारी	रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए) वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (मेट) मुरादनगर (उत्तर प्रदेश)
41.	श्री शीश पाल सहायक महानिदेशक	शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
42.	श्री अनिल कुमार सहायक प्रबंधक (आई.औ.)	एनएचपीसी लिमिटेड, आई.टी. निगम मुख्यालय.
43.	सुश्री डॉली सिंह पी.आर.ओ.	एनएचपीसी लिमिटेड, पार्वती चरण —11
44.	श्री दर्शन कुमार पी.आर.ओ.	एनएचपीसी लिमिटेड, चमेरा पावर स्टेशन चरण-11
45.	श्री राज सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, पी.एम.एस.जी.— निगम मुख्यालय
46.	श्रीमती. वीना हांडा सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, योजना– निगम मुख्यालय
47.	श्री जे.एन. साचन सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड, दोहलीगंगा पावर स्टेशन

36.	Shri Ramesh Dev Assistant Director(Tech)	NCR Planning Board, New Delhi
37.	Shri D.S.Mishra Deputy Manager(Corporate)	HPL, New Delhi, New Delhi
38.	Shri Pradeep Kumar Negi Engineer	THDC India Ltd, Rishikesh

C. 106th Orientation Course in Records Management from 23th to 27th July, 2012 held at National Archives of India, New Delhi.

39.	Mrs.Bandita Swain Assistant Manager (Documentation)	NALCO, Orissa
40.	Shri B.R.Mehta Records Officer	M/o Defence (DGQA) Sr. Quality Assurance Estt(Met) Muradnagar(UP)
41.	Sh.Shish Pal Assistant Director General	M/o Urban Development Nirman Bhavan, New Delhi
42.	Shri Anil Kumar Assistant Manager(I.T)	NHPC Ltd., I.T.Nigam Hqr.
43.	Ms. Dolly Singh P.R.O	NHPC Ltd., Parvati Charan -11
44.	Shri Darshan Kumar P.R.O	NHPC Ltd., Chamera Power Station Charan-11
45.	Shri Raj Singh Assistant Administrative Officer	NHPC Ltd., P.M.S.G- Nigam Hqr.
46.	Smt. Veena Handa Assistant Administrative Officer	NHPC Ltd., planning- Nigam Hqr.
47.	Shri J.N.Sachan Assistant Administrative Officer	NHPC Ltd., Dohliganga Power Station

48.	श्री दीपक अग्रवाल मुख्य अभिलेख अधिकारी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश
49.	श्री डी.एस.गुसाई अभिलेख अधिकारी	टीएचडीसी, सतर्कता विभाग, देहरादून
50.	श्री संदीप गुप्ता अभिलेख अधिकारी	टीएचडीसी, एचपीपी / पीएसपी, टिहरी
51.	श्री ए.एस.वर्मा अभिलेख अधिकारी	टीएचडीसी, एचपीपी, कोटेश्वर
52.	श्री मुकेश वर्मा अभिलेख अधिकारी	टीएचडीसी, वीपीएचईपी, पीपलकोटी
53.	श्री महेश यादव सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	निदेशालय प्रिंटिंग, निलोखेड़ी
54.	श्री आर.के.सक्सेना सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	निदेशालय प्रिंटिंग, नई दिल्ली
55.	श्री पी.गांगुली सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	निदेशालय प्रिंटिंग, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
56.	श्री बिशम्बर धर सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	निदेशालय प्रिंटिंग, चंडीगढ़
57.	श्री अमल कुमार कुंडू सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	निदेशालय प्रिंटिंग, फरीदाबाद
	Ment Parket (Miller)	0.989

48.	Shri Deepak Aggarwal Chief Records Officer	THDC India Ltd., Rishikesh
49.	Shri D.S.Gussai Records Officer	THDC, Vigilance Deptt., Dehradun
50.	Shri Sandeep Gupta Records Officer	THDC, HPP/PSP, Tihri
51.	Shri A.S.Verma Records Officer	THDC, HPP, Koteshwar
52.	Shri Mukesh Verma Records Officer	THDC, VPHEP, Pipalkoti
53.	Shri Mahesh Yadav Assistant Manager (Admn.)	Directorate of Printing, Nilokheri
54.	Shri R.K.Saxena Assistant Manager (Admn.)	Directorate of Printing, New Delhi
55.	Shri P.Ganguly Assistant Manager (Admn.)	Directorate of Printing, Howrah, West Bengal
56.	Shri Bishamber Dhar Assistant Manager (Admn.)	Directorate of Printing, Chandigarh
57.	Shri Amal Kumar Kundu Assistant Manager (Admn.)	Directorate of Printing, Faridabad

घ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 27 से 31 अगस्त, 2012 तक आयोजित 107वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

58.	श्री प्रशांत शर्मा	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय,
	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	भोपाल
59.	श्री शिव दयाल मीणा सहायक कार्मिक अधिकारी	परमाणु ऊर्जा विभाग, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
60.	श्री परिवेश जिनवाल सहायक कार्मिक अधिकारी	परमाणु ऊर्जा विभाग, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
61.	श्री लक्ष्मी नारायण अनुभाग अधिकारी/डीआरओ	गृह मंत्रालय, सहायक खुफिया ब्यूरो, भोपाल
62.	श्री ए.सी. टेम्ब्रे अनुभाग अधिकारी	पीपीएस केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
63.	श्री संजय पाल आशुलिपिक	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
64.	श्री राजू थॉमस सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	महालेखाकार का कार्यालय, भोपाल
65.	श्रीमती. रीता श्रीवास्तव अनुभाग अधिकारी (अभिलेख)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भोपाल
66.	श्री धनंजय राडके कार्यालय अधीक्षक	एमएसएमई–विकास संस्थान, इंदौर
67.	श्री शिव प्रसाद सीनियर ऑडिटर	वाणिज्य एवं लेखा परीक्षा निदेशालय का कार्यालय, भोपाल
68.	श्री बसंत कुमार विश्वकर्मा उपसंभागीय इंजीनियर्स	वरिष्ठ मुख्य प्रबंधक (टेलीफोन) का कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड, इंदौर
69.	श्री प्रदीप धारफाले लेखा अधिकारी (सीएमटीएस)	वरिष्ठ महाप्रबंधक का कार्यालय भारत संचार निगम लिमिटेड, इंदौर

D. 107th Orientation Course in Records Management from 27th to 31st August, 2012 held at National Archives of India, Regional Office Bhopal.

58.	Shri Prashant Sharma Field Publicity Officer	Ministry of Information & Broadcasting, Directorate of Field Publicity,
	a source of the same of the sa	Bhopal
59.	Shri Shiv Dayal Meena Assistant Personnel Officer	Department of Atomic Energy, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore.
60.	Shri Parivesh Jinwal Assistant Personnel Officer	Department of Atomic Energy, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore
61.	Shri Laxmi Narayan Section Officer/DRO	Ministry of Home Affairs, Subsidiary Intelligence Bureau, Bhopal
62.	Shri A.C.Tembre Section Officer	PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal
63.	Shri Sanjay Pal Stenographer	Regional Office for Health & Family Welfare, Bhopal
64.	Shri Raju Thomas Assistant Audit Officer	Office of the Accountant General, Bhopal
65.	Smt. Rita Srivastava Section Officer (Records)	Employees Provident Fund Organization, Bhopal
66.	Shri Dhananjay Radke Office Supdt.	MSME-Development Institute, Indore
67.	Shri Shiv Prasad Sr. Auditor	Office of the Directorate of Commerce & Audit, Bhopal
68.	Shri Basant Kumar Vishwakarma Sub-Divisional Engineers	O/o Sr. G.M. (Telephone), Bharat Sanchar Nigam Ltd., Indore
69.	Shri Pradeep Dharphale Accounts Officer (CMTS)	O/o Sr. General Manager Bharat Sanchar Nigam Ltd., Indore

ड. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी केन्द्र), पुड्डुचेरी में दिनांक 8 से 12 अक्तूबर, 2012 तक आयोजित 108वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

70.	श्री एस मुरली अधीक्षक	अपर आयुक्त का कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, पुडुचेरी आयुक्तालय, पी.बी.104, गोउबर्ट एवेन्यू, पुडुचेरी—605001
71.	श्री. वाई वेंकट राव प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी, सीमा शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, गुंटूर, नगरापालेम, कन्नावरिथोटा, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
72.	श्रीमती के.सी. वनजाकुमारी, अनुभाग अधिकारी	रबड़ प्रशिक्षण संस्थान रबर बोर्ड कोट्टायम –686009 (केरल)
73.	श्रीमती पी.सी. राधामोनी सहायक. सचिव	रबड़ प्रशिक्षण संस्थान रबर बोर्ड कोट्टायम –686009 (केरल)
74.	श्री लालकृष्ण सुरेन्द्रन प्रशासनिक अधिकारी	इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना, डीआरडीओ परिसर, सी.वी. रमन नगर, बंगलूर 560093
75.	श्री डी पोन्नैया प्रशासनिक अधिकारी	इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना, डीआरडीओ परिसर, सी.वी. रमन नगर, बंगलूर 560093
76.	श्री. राघवेंद्र प्रशासनिक सहायक ए.	इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना, डीआरडीओ परिसर, सी.वी. रमन नगर, बंगलूर 560093

E. 108th Orientation Course in Records Management from 8th to 12th October,2012 held at National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry.

	500 000	
70.	Shi S. Murali Superintendent,	Office of the Addl. Commissioner of Central Excise & Service Tax, Puducherry Commissioner ate, P.B.104, Goubert Avenue, Puducherry-605001
71.	Shri. Y Venkata Rao. Administrative Officer	Administrative Officer, Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax, Guntur, Nagarapalem, Kannavarithota, Guntur, Andhra Pradesh
72.	Smt.K.C Vanajakumari Section Officer,	Rubber Training Institute Rubber Board Kottayam -686009, Kerala
73.	Smt.P.C Radhamony Asst. Secretary,	Rubber Training Institute Rubber Board Kottayam -686009, Kerala
74.	Shri K. Surendiran. Admin. Officer	Electronic & Radar Development Establishment, DRDO Complex, C.V Raman Nagar, Bangalore- 560093
75.	Shri De Ponnaiah Administrative Officer,	Electronic & Radar Development Establishment, DRDO Complex, C.V Raman Nagar, Bangalore- 560093
76.	Shri. Raghavendra Admin. Asst. A,	Electronic & Radar Development Establishment, DRDO Complex, C.V Raman Nagar, Bangalore- 560093

E REAL			
77.	श्री के सुंदरराजन अनुभाग अधिकारी	वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर इंदिरा नगर, पुडुचेरी –605 006	
78.	श्रीमती. भुवनेश्वरी. पी डिवीजन इंजीनियर (सीएससी),	वरिष्ठ महाप्रबंधक बीएसएनएल पुडुचेरी —1	
79.	राजकुमार शर्मा कार्यकारी (राजभाषा)	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर पीओ कोट्टायम जिला केरल –686616	
80.	बी सतीश प्रशासनिक अधिकारी	केन्द्रीय लवण जल संस्थान एक्वाकल्चर हाई रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई–600028	27
81.	वी सिद्धारधा कुमार कार्यालय अधीक्षक	कार्यकारी अभियंता का कार्यालय, पुडुचेरी सेंट्रल डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, जेआईपीएमईआर कैम्पस, पुडुचेरी–6	25
82.	पी पांडियाराज अधीक्षण अधिकारी	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 572, एचआईजी फ्लैट, अहोक नगर लासपेट पुडुचेरी–605008	
83.	के आर अरुण कुमार अधीक्षक., (निवारक)	सहायक आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क का कार्यालय सीमा शुल्क हाउस बंदरगाह क्षेत्र विशाखापट्टनम—530035	
84.	मिथिलेश कुमार सहायक कमांडेंट	सीआईएसएफ का कार्यालय नई दिल्ली	L
85.	श्रीमती एस उमा कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय का कार्यालय राजाजी भवन, ई विंग तृतीय मंजिल, बसंत नगर, चेन्नई—90	At

77.	Shri K Sundarajan Section Officer,	Vector Control Research Centre Indira Nagar, Puducherry -605 006
78.	Smt. Bhuvaneshwari. P Division Engineer(CSC),	Sr. General Manager BSNL Puducherry-1
79.	Rajkumar Sharma Executive (OL),	Hindustan Newsprint Ltd., Newsprint Nagar P.O, Kottayam District Kerala -686616
80.	B. Sathish Administrative Officer,	Central Institute of Brackishwater Aquaculture High Road, Raja Annamalaipuram Chennai- 600028
81.	V. Sidhardha Kumar Office Superintendent,	O/o Executive Engineer, Puducherry Central Division, CPWD, Jipmer Campus Puducherry-6
82.	P. Pandiaraj Superintending Officer	National Sample Survey Office 572, HIG Flat, Ahok Nagar Lawspet Puducherry-605008
83.	K. R Arun Kumar Supdt.,(Preventive),	Assistant Commissioner Office of the Commissioner Customs Customs House Port Area Visakhapastnam-530035
84.	Mithilesh Kumar Asst. Comdt,	Office of the CISF New Delhi
85.	Smt. S. Uma Office Superintendent	Office of the Directorate of Census Operation, Rajaji Bhawan, E wing III Floor, Besant Nagar, Chennai-90

86.	श्री रूप नारायण कंडेल कार्यालय अधीक्षक	प्रभारी अधिकारी सीआईएफएनईटी, यूनिट, 59, एस.एन चेडी स्ट्रीट रोयापुरम, चेन्नई —600013	
87.	श्री एन.एस. सुंदरम वैज्ञानिक अधिकारी (योजना)	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	
88.	सुश्री जी महालक्ष्मी सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन) अभिलेख अधिकारी,	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	
89.	श्री एम शिवकुमार जेआरए–द्वितीय (पी)	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	308
90.	श्री. सुब्रत रॉय, एसी / जएओ	सीआईएसएफ यूनिट ओआईएल दुलियाजान	18
91.	श्री बी.सोमन सहायक. प्रबंधक (प्रशासन)	भारत सरकार मुद्रणालय कोराडी, त्रिचूर, केरल–680309	
92.	श्री एस मुरूगेसन अनुभाग अधिकारी (जी)	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी–630006	
93.	श्री एन मोउरोउगायन, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	जेआईपीएमईआर अस्पताल, पुडुचेरी —6	46

च. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर में दिनांक 3 से 7 दिसंबर, 2012 तक आयोजित 109वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

94. डॉ डी.एम. काम्बले	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,
सीएमओ (एसएजी)	मुंबई
95. श्री एन.जी. मीराजकर	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट,
उप मुख्य अभियंता	मुंबई

86.	Shri Rup Narayan Kandel Office Superintendent,	Officer in charge CIFNET, Unit, 59, S.N Chetty Street Royapuram, Chennai -600013	
87.	Shri N.S. Sundaram Scientific Officer (Planning),	Bharatiya Nabhikya Vidyut Nigam Limited Kanchipuram District, Tamil Nadu	0
88.	Ms. G. Mahalakshmi Assistant Manager(HR) Record Officer,	Bharatiya Nabhikya Vidyut Nigam Limited Kanchipuram District, Tamil Nadu	
89.	Shri M. Sivakumar JRA-II(p),	Bharatiya Nabhikya Vidyut Nigam Limited Kanchipuram District, Tamil Nadu	
90.	Shri. Subrata Roy, AC/JAO,	CISF Unit OIL Duliajan	
91.	Shri B.Soman Asst. Manager(Admn),	Government of India Press Koratty, Triuchur, Kerala-680309	
92.	Shri S. Murugessan Section Officer (G),	Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi-630006	
93.	Shri N. Mourougayen Medical Records Technician	Jipmer Hospital, Puducherry-6	

F. 109th Orientation Course in Records Management from 3th to 7th December, 2012 held at National Archives of India, Record Centre Jaipur.

94.	Dr. D.M.Kamble CMO(SAG)	Central Government Health Scheme, Mumbai
95.	Shri N.G.Mirajkar Deputy Chief Engineer	Mumbai Port Trust, Mumbai

96.	श्री आर.पी. मीणा, अनुभाग अधिकारी	सहायक खुफिया ब्यूरो, जयपुर
97.	डॉ सुभाष चंद्रा सहायक निदेशक	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर
98.	श्री श्रीनिवास मीणा आर्थिक अधिकारी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर
99.	श्री श्यामसुंदर जी शेनॉय वरिष्ठ सहायक सचिव	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
100.	श्री पी एम मेशराम लेखा अधिकारी	पीसीडीए का कार्यालय (एसडब्ल्यूसी), जयपुर
101.	श्री रामवतार गुप्ता कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय राजस्थान, जयपुर
102.	श्री वाई.के. कौशिक अधीक्षक (सतर्कता)	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, जयपुर
103.	श्री ए यू कावले कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय, गुजरात, गांधी नगर
104.	श्री शिव कुमार केंडरे अन्वेषक	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय वस्त्र मंत्रालय, जयपुर
105.	श्री योगेश उप्रेती सहायक प्रबंधक (मैक)	सीईपी निगम मुख्यालय एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद
106.	श्री के डी शर्मा कार्यकारी ड्राफ्टसमैन	एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद
107.	श्री एस पी शर्मा उप प्रबंधक (राजभाषा)	एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद

96.	Shri R.P.Meena Section Officer	Subsidiary Intelligence Bureau, Jaipur.
97.	Dr. Subash Chandra Assistant Director	Directorate of Millets Development, Jaipur
98.	Shri Shriniwas Meena Economic Officer	Khadi and Village Industries Commission, Jaipur
99.	Shri Shyamsunder G. Shenoy Sr.Asstt. Secretary	Mumbai Port Trust, Mumbai
100.	Shri P. M. Meshram Accounts Officer	Office of the PCDA(SWC), Jaipur
101.	Shri Ramawtar Gupta Office Superintendent	Directorate of Census Operations Rajasthan, Jaipur
102.	Shri Y.K.Kaushik Superintendant (Vigilance)	Office of the Commissioner of Customs, Jaipur
103.	Shri A. U. Kawale Office Superintendent	Directorate of Census Operations, Gujarat, Gandhi Nagar
104.	Shri Shiv Kumar Kedre Investigator	Office of the Development Commissioner (Handicraft) M/o Textiles, Jaipur
105.	Shri Yogesh Upreti Assistant Manager(Mech) CEP Corporation, Head Quarters	NHPC Limited, Faridabad
106.	Shri K. D. Sharma Executive Draughtsman	NHPC Limited, Faridabad
107.	Shri S. P. Sharma Deputy Manager(Rajbhasha)	NHPC Limited, Faridabad

108.	श्री दर्शन कुमार सहायक प्रबंधक (जनसंपर्क)	एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद
109.	श्री वाई एन जाधव वरिष्ठ लेखा अधिकारी	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
110.	श्री के आर हिंजर सहायक लेखा अधिकारी	लेखा निदेशालय (डाक) जयपुर
111.	श्री मनोज शर्मा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	प्रधान लेखा-परीक्षा निर्देशक का कार्यालय, एनडब्ल्यूआर, जयपुर

108.	Shri Darshan Kumar Assistant Manager(PR)	NHPC Limited, Faridabad
109.	Shri Y. N. Jadhav Senior Accounts Officer	Mumbai Port Trust, Mumbai
110.	Shri K. R. Hingar Assistant Accounts officer	Directorate of Accounts(Postal) Jaipur
111.	Shri Manoj Sharma Assistant Audit Officer	Office of the Principal Director of Audit, NWR, Jaipur

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Janpath, New Delhi-110 001

Tel. Nos.: 23383436, 23381467 Fax No. 23384127

email: archives@nic.in Website: www.nationalarchives.nic.in